

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

(1872 का अधिनियम संख्यांक 9)¹

[25 अप्रैल, 1872]

उद्देशिका—संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है;

अतः तद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 कहा जा सकेगा।

विस्तार, प्रारंभ—इसका विस्तार ²संपूर्ण भारत पर है; और यह 1872 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

व्यावृत्ति—³इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, तद्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित न किए गए किसी स्टेट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ि पर, अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव न डालेगी।

2. निर्वचन खंड—इस अधिनियम में, निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो—

(क) जब कि एक व्यक्ति, किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामन्दी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है;

(ख) जब कि वह व्यक्ति, जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है;

(ग) प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति, “वचनदाता” कहलाता है और प्रस्थापना प्रतिगृहीत करने वाला व्यक्ति “वचनगृहीता” कहलाता है;

(घ) जब कि वचनदाता की वांछा पर वचनगृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या करता है या करने से प्रविरत रहता है, या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रविरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है;

(ङ) हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है;

(च) वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हों, व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं;

¹ विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए, जो भारत के लिए मुख्य विधियां तैयार करने के लिए तारीख 6 जुलाई, 1866 को नियुक्त हर मजेस्टी के कमिश्नर की रिपोर्ट पर आधारित है, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1867, असाधारण, पृ० 34; प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, तारीख 28 मार्च, 1872, परिषद् में हुई चर्चा के लिए देखिए, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1867 अनुपूरक, पृ० 1064; भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1871, पृ० 313 के भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1872, पृ० 527।

यह अधिनियम, 1915 के मध्य प्रांत अधिनियम 1 द्वारा मध्य प्रांत में और 1938 के मध्य प्रांत और बरार अधिनियम 15 द्वारा मध्य प्रांत और बरार में संशोधित किया गया।

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) के वे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित हैं ऐसे स्थानों में जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है इस अधिनियम के भाग माने जाएंगे। देखिए 1882 का अधिनियम सं० 4 की धारा 4।

इस अधिनियम का विस्तार, बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर; 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर, 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह पर; 1968 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा पाण्डिचेरी पर किया गया है तथा निम्नलिखित स्थानों पर प्रवृत्त होने के लिए घोषित किया गया—

संथाल परगना—देखिए संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 जिसका संशोधन संथाल परगना न्याय और विधि विनियम, 1899 (1899 का 3) की धारा 3 द्वारा किया गया।

पंथ पिपलोदा—देखिए पंथ पिपलोदा विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) की धारा 2।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा आगरा प्रांत तराई में इसे प्रवृत्त होने के लिए घोषित किया गया देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1876, भाग 1, पृ० 505;

हजारी बाग जिले में लोहारडागा और मानभूम, और परगना डालभूम तथा सिंघभूम जिले में कोलहान—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1881 भाग 1 का पृ० 504। लोहारडागा जिला में इस समय वर्तमान पलामू जिला सम्मिलित है जिसे 1874 में पृथक् किया गया था। अब लोहारडागा जिले को रांची जिला कहा जाता है—देखिए कलकत्ता राजपत्र, 1899 भाग 1, पृ० 44।

² 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

³ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा “अनुसूची में उपवर्णित अधिनियमितियां इसके द्वारा जो अनुसूची के तीसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निरसित होंगी, किन्तु” शब्दों का निरसन किया गया।

(छ) वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो, शून्य कहलाता है;

(ज) वह करार, जो विधितः प्रवर्तनीय हो, संविदा है;

(झ) वह करार, जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है;

(ञ) जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती।

अध्याय 1

प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में

3. **प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण**—प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो, या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो।

4. **संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है**—प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है।

प्रतिग्रहण की संसूचना—

प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति के बाहर हो जाए;

प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आती है।

प्रतिसंहरण की संसूचना—

उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, जब वह उस व्यक्ति के प्रति, जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो, इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए, जो उसे करता है।

उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिससे प्रतिसंहरण किया गया है, तब संपूर्ण हो जाती है, जब वह उसके ज्ञान में आती है।

दृष्टान्त

(क) अमुक कीमत पर **ख** को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है।

प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब **ख** को पत्र प्राप्त होता है।

(ख) **क** की प्रस्थापना का **ख** डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है।

प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब **ख** से पत्र प्राप्त होता है।

प्रतिग्रहण की संसूचना—

क के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है;

ख के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब **क** को पत्र प्राप्त होता है।

(ग) **क** अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है।

क के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है। **ख** के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब **ख** को तार प्राप्त होता है।

ख अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। **ख** का प्रतिसंहरण **ख** के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है और **क** के विरुद्ध तब, जब तार उसके पास पहुंचता है।

5. **प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण**—कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिगृहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

दृष्टान्त

क अपना गृह ख को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है।

ख प्रस्थापना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहीत करता है।

क अपनी प्रस्थापना को ख द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंहत कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

ख अपने प्रतिग्रहण को, उसे संसूचित करने वाला पत्र क को पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रतिसंहत कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

6. प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है—प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है—

- (1) प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से;
- (2) ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्तियुक्त समय बीत जाने से;
- (3) प्रतिग्रहण किसी पुरोभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहीता की असफलता से; अथवा
- (4) प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए।

7. प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए—प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण—

- (1) आत्यन्तिक और अविशेषित होना ही चाहिए;
- (2) किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्थापना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है। यदि प्रस्थापना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए, तो प्रस्थापक, उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से ही प्रतिगृहीत की जाए, अन्यथा नहीं। किन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिगृहीत करता है।

8. शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण—किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन, या व्यक्तिकारी वचन के लिए, जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो, उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण है।

9. वचन अभिव्यक्त और विवक्षित—जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहां तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है।

अध्याय 2

संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में

10. कौन से करार संविदाएं हैं—सब करार संविदाएं हैं, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतन्त्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और तद्द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं।

इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात ¹[भारत] में प्रवृत्त और तद्द्वारा अभिव्यक्ततः निरसित न की गई किसी ऐसी विधि पर, जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित² रूप में या साक्षियों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तोवजों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित हो, प्रभाव न डालेगी।

11. संविदा करने के लिए कौन सक्षम है—हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तव्य हो, और जो स्वस्थचित हो, और किसी विधि द्वारा, जिसके वह अध्यधीन³ है, संविदा करने से निरर्हित न हो।

12. संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थचित क्या है—कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थचित कहा जाता है, यदि वह उस समय, जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तिसंगत निर्णय लेने में समर्थ है।

¹ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग क राज्यों तथा भाग ग राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित; जिसे विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “ग्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

² उदाहरणार्थ, देखिए इसी की धारा 25; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 19; वाहक अधिनियम, 1865 (1865 का 3) की धारा 6 तथा धारा 7; कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 12, धारा 30, धारा 46, तथा धारा 109।

³ देखिए भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9)।

जो व्यक्ति प्रायः विकृतचित्त रहता है किन्तु कभी-कभी स्वस्थचित्त हो जाता है, वह जब स्वस्थचित्त हो तब संविदा कर सकेगा।

जो व्यक्ति प्रायः स्वस्थचित्त रहता है किन्तु कभी-कभी विकृतचित्त हो जाता है, वह जब विकृतचित्त हो तब संविदा नहीं कर सकेगा।

दृष्टान्त

(क) पागलखाने का एक रोगी, जो अन्तरालों में स्वस्थचित्त हो जाता है, उन अन्तरालों के दौरान में संविदा कर सकेगा।

(ख) वह स्वस्थचित्त मनुष्य, जो ज्वर से चित्तविपर्यस्त है या जो इतना मत्त है कि वह संविदा के निबंधनों को नहीं समझ सकता या अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तिसंगत निर्णय नहीं ले सकता तब तक संविदा नहीं कर सकता जब तक ऐसी चित्तविपर्यस्तता या मत्तता बनी रहे।

13. “सम्मति” की परिभाषा—दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।

14. “स्वतंत्र सम्मति” की परिभाषा—सम्मति स्वतन्त्र तब कही जाती है जब कि वह—

- (1) न तो धारा 15 में यथापरिभाषित प्रपीडन द्वारा कारित हो;
- (2) न धारा 16 में यथापरिभाषित असम्यक् असर द्वारा कारित हो;
- (3) न धारा 17 में यथापरिभाषित कपट द्वारा कारित हो;
- (4) न धारा 18 में यथापरिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो;
- (5) न भूल द्वारा कारित हो, किन्तु यह बात धाराओं 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन है।

सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जब कि वह ऐसा प्रपीडन, असम्यक् असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती, तो न दी जाती।

15. “प्रपीडन” की परिभाषा—“प्रपीडन” इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर, चाहे वह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी सम्पत्ति का विधिविरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना है।

स्पष्टीकरण—यह तत्त्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीडन का प्रयोग किया जाता है वहां भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) प्रवृत्त है या नहीं।

दृष्टान्त

खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर, ऐसे कार्य द्वारा, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है, **ख** से **क** एक करार कराता है।

तत्पश्चात् **क** संविदा भंग के लिए कलकत्ते में **ख** पर वाद लाता है।

क ने प्रपीडन का प्रयोग किया है यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की विधि के अनुसार अपराध नहीं है, और यद्यपि उस समय जब और उस स्थान पर जहां वह कार्य किया गया था भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 506 प्रवृत्त नहीं थी।

¹**16. “असम्यक् असर” की परिभाषा**—(1) संविदा असम्यक् असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहां कि पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अक्रजु फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है जब कि वह—

(क) उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है, या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है; अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है।

(3) जहां कि कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, उसके साथ संविदा करता है, और वह संव्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्माविरुद्ध प्रतीत होता है वहां यह साबित करने का भार कि ऐसी

¹ 1899 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था।

इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 111 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

दृष्टांत

(क) क, जिसने अपने पुत्र ख को उसकी अप्राप्तवयता के दौरान में धन उधार दिया था, ख के प्राप्तवय होने पर अपने पैत्रिक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उस उधार धन की बाबत शोध्द राशि से अधिक रकम के लिए एक बन्धपत्र अभिप्राप्त कर लेता है। क असम्यक् असर का प्रयोग करता है।

(ख) रोग या आयु से क्षीण हुए मनुष्य क पर ख का, जो असर उसके चिकित्सीय परिचारक के नाते है, उस असर से ख को उसकी वृत्तिक सेवाओं के लिए एक अयुक्तियुक्त राशि देने का करार करने के लिए क उत्प्रेरित किया जाता है। ख असम्यक् असर का प्रयोग करता है।

(ग) क अपने ग्राम के साहूकार ख का ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबंधनों पर धन उधार लेता है जो लोकात्माविरुद्ध प्रतीत होते हैं। यह साबित करने का भार कि संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी ख पर है।

(घ) क एक बैंककार से उधार के लिए ऐसे समय में आवेदन करता है जब धन के बाजार में तंगी है। बैंककार व्याज की अप्रायिक ऊँची दर पर देने के सिवाय उधार देने से इन्कार कर देता है। क उन निबंधनों पर उधार प्रतिगृहीत करता है। यह संव्यवहार कारबार के मामूली अनुक्रम में हुआ है, और वह संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं है।]

17. “कपट” की परिभाषा—“कपट” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता¹ द्वारा, संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो—

- (1) जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है;
- (2) किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना;
- (3) कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो;
- (4) प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य;
- (5) कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे।

स्पष्टीकरण—संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामन्दी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता हो कि वह बोले² या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य न हो।

दृष्टांत

(क) क नीलाम द्वारा ख को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में क जानता है कि वह ऐबदार है। क घोड़े के ऐब के बारे में ख को कुछ नहीं कहता। यह क ओर से कपट नहीं है।

(ख) क की ख पुत्री है और अभी ही प्राप्तवय हुई है। यहां पक्षकारों के बीच के संबंध के कारण क का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा ऐबदार है तो ख को वह बता दे।

(ग) क से ख कहता है कि यदि आप इस बात का प्रत्याख्यान न करें तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बेऐब है। क कुछ भी नहीं कहता है। यहां क का मौन बोलने के तुल्य है।

(घ) क और ख, जो व्यापारी हैं, एक संविदा करते हैं। क को कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है, जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की ख की रजामन्दी पर प्रभाव पड़ेगा। ख को यह जानकारी देने के लिए क आबद्ध नहीं है।

18. “दुर्व्यपदेशन” की परिभाषा—“दुर्व्यपदेशन” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

- (1) उस बात का, जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्राख्यान जो उस व्यक्ति की, जो उसे करता है, जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो;

¹ धारा 238 भी देखिए।

² धारा 143 भी देखिए।

(2) कोई ऐसा कर्तव्य भंग, जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को, जो उसे करता है, या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए, जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(3) चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में, जो उस करार का विषय हो, कोई भूल कराना।

[19. स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता]—जब कि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीडन, ¹* * * कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी।

संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो, आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए, और वह उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते।

अपवाद—यदि ऐसी सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा या ऐसे मौन द्वारा, जो धारा 17 के अर्थ के अन्तर्गत कपटपूर्ण है, कारित हुई थी तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है यदि उस पक्षकार के पास, जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी, सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे।

स्पष्टीकरण—वह कपट या दुर्व्यपदेशन, जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की, जिससे ऐसे कपट या दुर्व्यपदेशन किया गया था, संविदा को शून्यकरणीय नहीं कर देता।

दृष्टांत

(क) **ख** को प्रवंचित करने के आशय से **क** मिथ्या व्यपदेशन करता है कि **क** के कारखाने में पांच सौ मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है और तद्द्वारा **ख** को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। संविदा **ख** के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

(ख) **क** दुर्व्यपदेशन द्वारा **ख** को गलत विश्वास कराता है कि **क** के कारखाने में पांच सौ मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। **ख** कारखाने के लेखाओं की पड़ताल करता है जो यह दर्शित करते हैं कि केवल चार सौ मन नील बनाया गया है। इसके पश्चात् **ख** कारखाने को खरीद लेता है। संविदा **क** के दुर्व्यपदेशन के कारण शून्यकरणीय नहीं है।

(ग) **क** कपटपूर्वक **ख** को इतिला देता है कि **क** सम्पदा-विल्लंगम् मुक्त है। तब **ख** उस सम्पदा को खरीद लेता है। वह सम्पदा एक बन्धक के अधीन है। **ख** या तो संविदा को शून्य कर सकेगा या यह आग्रह कर सकेगा कि वह क्रियान्वित की जाए और बंधक ऋण का मोचन किया जाए।

(घ) **क** की सम्पदा में **ख** अयस्क की एक शिला का पता लगाकर **क** से उस अयस्क के अस्तित्व को छिपाने के साधनों का प्रयोग करता है और छिपा लेता है। **क** के अज्ञान के **ख** उस सम्पदा को न्यून-मूल्य पर खरीदने में समर्थ हो जाता है। संविदा **क** के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

(ङ) **ख** की मृत्यु पर एक सम्पदा का उत्तराधिकारी होने का **क** हकदार है। **ख** की मृत्यु हो जाती है। **ख** की मृत्यु का समाचार पाने पर **ग** उस समाचार को **क** तक नहीं पहुंचने देता और इस तरह **क** को उत्प्रेरित करता है कि उस सम्पदा में अपना हित उसके हाथ में बेच दे। यह विक्रय **क** के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

²**[19क. असम्यक् असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति]**—(1) जब कि किसी करार के लिए सम्मति असम्यक् असर से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है।

ऐसी कोई भी संविदा या तो आत्यन्तिकतः अपास्त की जा सकेगी या यदि उस पक्षकार ने, जो उसके शून्यकरण का हकदार हो, तद्धीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों।

दृष्टांत

(क) **क** के पुत्र ने एक वचनपत्र पर **ख** के नाम की कूटरचना की है। **क** के पुत्र का अभियोजन करने की धमकी देकर **क** से कूटरचित वचनपत्र की रकम के लिए एक बन्धपत्र **ख** अभिप्राप्त करता है। यदि **ख** उस बंधपत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगा।

(ख) एक साहूकार **क** एक कृषक **ख** को 100 रुपए उधार देता है और असम्यक् असर से **ख** को 6 प्रतिशत प्रतिमास ब्याज पर 200 रुपए का एक बन्धपत्र निष्पादित करने को उत्प्रेरित करता है। न्यायालय ऐसे ब्याज सहित जो न्यायसंगत प्रतीत हो, 100 रुपए के प्रति संदाय का आदेश **ख** को देते हुए बन्धपत्र अपास्त कर सकेगा।]

¹ 1899 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा “असम्यक् असर” शब्दों का निरसन किया गया।

² 1899 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

20. जब कि दोनों पक्षकार तथ्य की बात सम्बन्धी भूल में हों तब करार शून्य है—जहां कि किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में, जो करार के लिए मर्मभूत है, भूल में हों वहां करार शून्य है।

स्पष्टीकरण—जो चीज करार की विषयवस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय, तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी।

दृष्टांत

(क) माल के एक विनिर्दिष्ट स्थोरा को, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुम्बई को चल चुका है, **ख** को भेजने का करार **क** करता है। पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व, उस स्थोरा के प्रवहण करने वाला पोत संत्यक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया था। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है।

(ख) **ख** से अमुक घोड़ा खरीदने का करार **क** करता है। यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका था, यद्यपि दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है।

(ग) **ख** के जीवनपर्यन्त के लिए एक सम्पदा का हकदार होते हुए **क** उसे **ग** को बेचने का करार करता है। करार के समय **ख** मर चुका था। किन्तु दोनों पक्षकार इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। करार शून्य है।

21. विधि के बारे की भूलों का प्रभाव—कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि वह 1[भारत] में प्रवृत्त विधि के बारे की किसी भूल के कारण की गई थी, किन्तु किसी ऐसी विधि के बारे की, जो 1[भारत] में प्रवृत्त नहीं है, किसी भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है।

2* * * * *

दृष्टांत

क और **ख** इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वारित है। संविदा शून्यकरणीय नहीं है।

3* * * * *

22. एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा—कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी।

23. कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं—करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है, सिवाय जब कि—
वह विधि⁴ द्वारा निषिद्ध हो; अथवा

वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा; अथवा

वह कपटपूर्ण हो; अथवा

उसमें किसी अन्य के शरीर या सम्पत्ति को क्षति अन्तर्वलित या विवक्षित हो; अथवा

न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने।

इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिविरुद्ध कहलाता है। हर एक करार, जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधिविरुद्ध हो, शून्य है।

दृष्टांत

(क) **क** अपना गृह 10,000 रुपए में **ख** को बेचने का करार करता है। यहां 10,000 रुपए देने का **ख** का वचन गृह बेचने के **क** के वचन के लिए प्रतिफल है, और गृह बेचने का **क** का वचन 10,000 रुपए देने के **ख** के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं।

(ख) **क** यह वचन देता है कि यदि **ग**, जिसे **ख** को 1,000 रुपए देना है, उसे देने में असफल रहा तो वह **ख** को छह मास के बीतते ही 1,000 रुपए देगा। **ख** तदनुसार **ग** को समय देने का वचन देता है। यहां हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है और ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं।

¹ “ब्रिटिश इण्डिया” मूल शब्दों का अनुक्रमशः विधि अनुकूलन, आदेश, 1948 तथा विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा संशोधन किया गया जिससे कि उपर्युक्त पढ़ा जाए।

² भारतीय विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा पैरा 2 अंतःस्थापित किया गया जिसका विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा लोप किया गया।

³ 1917 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा धारा 21 के द्वितीय दृष्टांत का निरसन किया गया।

⁴ धारा 26, धारा 27, धारा 28 तथा धारा 30 भी देखिए।

(ग) ख द्वारा उसे दी गई किसी राशि के बदले क यह वचन देता है कि यदि ख का पोत अमुक समुद्र यात्रा में नष्ट हो जाए तो क उसके पोत के मूल्य की प्रतिपूर्ति करेगा। यहां क का वचन ख के संदाय के लिए प्रतिफल है, और ख का संदाय क के वचन के लिए प्रतिफल है; और ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं।

(घ) ख के बच्चे का भरण-पोषण करने का क वचन देता है और ख उस प्रयोजन के लिए क को 1,000 रुपए वार्षिक देने का वचन देता है। यहां हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं।

(ङ) क, ख और ग अपने द्वारा कपट से अर्जित किए गए या किए जाने वाले अभिलाभों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधिविरुद्ध है।

(च) ख के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन क देता है और क को ख 1,000 रुपए देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल विधिविरुद्ध है।

(छ) क, जो एक भूस्वामी का अभिकर्ता है, अपने मालिक के ज्ञान के बिना अपने मालिक की भूमि का एक पट्टा ख के लिए अभिप्राप्त करने का करार धन के लिए करता है। क और ख के बीच का करार शून्य है क्योंकि उससे यह विवक्षित है कि क ने अपने मालिक से छिपाव द्वारा कपट किया है।

(ज) क उस अभियोजन को, जो उसने लूट के बारे में ख के विरुद्ध संस्थित किया है, छोड़ देने का ख को वचन देता है, और ख दी गई चीजों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधिविरुद्ध है।

(झ) क की सम्पदा का राजस्व की बकाया के लिए विक्रय विधान-मण्डल के एक ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाता है, जो व्यतिक्रम करने वाले को वह भू-सम्पदा खरीदने से प्रतिषिद्ध करता है। क के साथ तय करके ख क्रेता बन जाता है और यह करार करता है कि वह क से वह कीमत मिलने पर, जो ख ने दी है, वह सम्पदा क को हस्तान्तरित कर देगा। करार शून्य है क्योंकि उसका यह प्रभाव है कि वह संव्यवहार व्यतिक्रम करने वाले द्वारा किया गया क्रय बन जाता है और इस प्रकार उससे विधि का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(ञ) क, जो ख का मुख्तार है, उस असर को जो उस हैसियत में उसका ख पर है ग के पक्ष में प्रयुक्त करने का वचन देता है और क को 1,000 रुपए देने का वचन ग देता है। करार शून्य है क्योंकि वह अनैतिक है।

(ट) क अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए ख को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। करार शून्य है क्योंकि वह अनैतिक है, यद्यपि इस प्रकार भाड़े पर दिया जाना भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दण्डनीय न हो।

शून्य करार

24. यदि प्रतिफल और भागत: विधिविरुद्ध हों तो करार शून्य होंगे—यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग, या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधिविरुद्ध हो तो करार शून्य है।

दृष्टांत

क नील के वैध विनिर्माण का, और अन्य वस्तुओं में अवैध दुर्व्यापार का ख की ओर से अधीक्षण करने का वचन देता है। ख 10,000 रुपए वार्षिक संबलम् क को देने का वचन देता है। यह करार इस कारण शून्य है कि क के वचन का उद्देश्य और ख के वचन के लिए प्रतिफल भागत: विधिविरुद्ध है।

25. प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो, या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो—प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, सिवाय जबकि वह—

(1) लिखित रूप में अभिव्यक्त और [दस्तावेजों] के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो; अथवा

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिकर देने के लिए वचन हो, जिससे वचनदाता के लिए स्वेच्छया पहले ही कोई बात कर दी हो अथवा ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था; अथवा

(3) जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वारित न होने की दशा में लेनदार करा लेता, उसके पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया जाना है या तन्निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा, किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो।

इसमें से किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 2, भाग 1 द्वारा “हस्तांतरण-पत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा की कोई भी बात वस्तुतः दिए गए किसी दान की विधिमान्यता पर, जहां तक कि दाता और आदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी।

स्पष्टीकरण 2—कोई करार, जिसके लिए वचनदाता के सम्मति स्वतन्त्रता से दी गई है, केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किन्तु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकती है।

दृष्टांत

(क) **ख** को किसी प्रतिफल के बिना 1,000 रुपए देने का **क** वचन देता है, यह करार शून्य है।

(ख) **क** नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र **ख** को 1,000 रुपए देने का वचन देता है। **ख** के प्रति अपने वचन को **क** लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है यह संविदा है।

(ग) **ख** की थैली **क** पड़ी पाता है और उसे उसको दे देता है। **क** को **ख** 50 रुपए देने का वचन देता है। यह संविदा है।

(घ) **ख** के शिशुपुत्र का पालन **क** करता है। वैसा करने में हुए **क** के व्ययों के संदाय का **ख** वचन देता है। यह संविदा है।

(ङ) **ख** के 1,000 रुपए **क** द्वारा देय हैं किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वारित है। **क** उस ऋण मद्धे **ख** को 500 रुपए देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है। यह संविदा है।

(च) **क** 1,000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए **क** की सम्मति स्वतन्त्रता से दी गई थी। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह करार संविदा है।

(छ) **क** 1,000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है। **क** इससे इंकार करता है कि इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतन्त्रता से दी गई थी।

प्रतिफल की अपर्याप्तता ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय को यह विचार करने में गणना में लेना चाहिए कि **क** की सम्मति स्वतन्त्रता से दी गई थी या नहीं।

26. विवाह का अवरोधक करार शून्य है—ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्तवय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो।

27. व्यापार का अवरोधक करार शून्य है—हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो, उस विस्तार तक शून्य है।

अपवाद 1—जिस कारबार की गुडविल बेच दी गई है उस कारबार को न चलाने के करार की व्यावृत्ति—वह व्यक्ति जो किसी कारबार की गुडविल का विक्रय करे, क्रेता से यह करार कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर तब तक तत्सदृश कारबार चलाने से विरत रहेगा जब तक क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे उससे गुडविल का हक व्युत्पन्न हुआ हो, उन सीमाओं में तत्सदृश कारबार चलाता रहे; परन्तु यह तब जब कि उस कारबार की प्रकृति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हों।

1* * * * *

28. विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य हैं—¹हर करार,—

(क) जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यंतिकतः अवरुद्ध किया जाता है या जो उस समय को, जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता है, परिसीमित कर देता है; या

(ख) जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को निर्वापित कर देता है या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से उन्मोचित कर देता है, जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए,

उस विस्तार तक शून्य है।²

अपवाद 1—जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति—यह धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में, जो विवाद उनके बीच पैदा हो वह माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल वह रकम वसूलीय होगी जो ऐसे माध्यस्थम् में अधिनिर्णीत हो।

¹ 1932 के अधिनियम सं० 9 की धारा 73 तथा अनुसूची 2 द्वारा अपवाद 2 तथा 3 निरसित।

² 1997 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (8-1-1997 से) प्रतिस्थापित।

1*

*

*

*

*

*

*

अपवाद 2—जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति—और न यह धारा किसी ऐसी लिखित संविदा को अवैध कर देगी जिससे दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को, जो उनके बीच पहले ही पैदा हो चुके हों, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार करे, या माध्यस्थम्² विषयक निर्देशों के बारे में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी।

³**अपवाद 3—किसी बैंक या वित्तीय संस्था के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति—**यह धारा ऐसी किसी लिखित संविदा को अवैध नहीं करेगी जिसके द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी प्रत्याभूति या प्रत्याभूति का उपबंध करने वाले किसी करार में, उस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, जो ऐसे पक्षकार के उक्त दायित्व से निर्वापन या उन्मोचन संबंधी विनिर्दिष्ट स्थिति के होने या न होने की तारीख से एक वर्ष से कम की नहीं है, ऐसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या उसकी बाबत उसके किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्वापन या किसी उन्मोचन करने संबंधी अवधि नियत की गई हो।

स्पष्टीकरण—

(i) अपवाद 3 में, “बैंक” पद से अभिप्रेत है—

(क) कोई “बैंकारी कंपनी”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है;

(ख) कोई “तत्स्थानी नया बैंक”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित “भारतीय स्टेट बैंक”;

(घ) कोई “समनुपंगी बैंक”, जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुपंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित है;

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित “प्रादेशिक ग्रामीण बैंक”;

(च) कोई “सहकारी बैंक”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गगii) में परिभाषित है;

(छ) कोई “बहुराज्य सहकारी बैंक”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गगiii) में परिभाषित है; और

(ii) अपवाद 3 में “वित्तीय संस्था” पद से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के अर्थान्तर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।]

29. करार अनिश्चितता के कारण शून्य है—वे करार, जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्त नहीं है, शून्य है।

दृष्टान्त

(क) **ख को क** “एक सौ टन तेल” बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आशयित था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है।

(ख) **ख को क**, विनिर्दिष्ट वर्णन का एक सौ टन ऐसा तेल बेचने का करार करता है जो एक वाणिज्यिक वस्तु के रूप में ज्ञात है। यहां कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए।

(ग) **क**, जो केवल नारियल के तेल का व्यवसायी है, **ख**, को “एक सौ टन तेल” बेचने का करार करता है। **क** के व्यापार की प्रकृति इन शब्दों का अर्थ उपदर्शित करती है और **क** ने एक सौ टन नारियल के तेल के विक्रय के लिए संविदा की है।

(घ) **क** “रामनगर में मेरे धान्य भंडार में का सारा धान्य” **ख** को बेचने का करार करता है। यहां कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए।

(ङ) **ख को ग** द्वारा नियत की जाने वाले कीमत पर एक हजार मन चावल” बेचने का करार **क** करता है। कीमत निश्चित की जा सकती है, इसलिए यहां कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए।

¹ 1877 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा धारा 28 के अपवाद 1 का द्वितीय खंड निरसित।

² देखिए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 389।

³ 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा (18-1-2013 से) अंतःस्थापित।

(च) **ख** को **क** “मेरा सफेद घोड़ा पांच सौ रुपए या एक हजार रुपए के लिए” बेचने का करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इन दो कीमतों में से कौन-सी दी जानी है। करार शून्य है।

30. पंचम् के तौर के करार शून्य हैं—पंचम् के तौर के करार शून्य हैं; और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा, जो पंचम् पर जीती गई अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के, जिसके बारे में कोई पंचम् किया गया हो परिणाम के अनुसार व्ययनित की जाने को न्यस्त की गई हो।

घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिकों से पक्ष में अपवाद—यह धारा ऐसे चन्दे या अभिदाय को, या चन्दा देने या अभिदाय करने के ऐसे करार को विधिविरुद्ध बना देने वाली न समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़¹ के विजेता या विजेताओं को प्रदेय किसी ऐसी प्लेट, पारितोषिक या धनराशि के लिए या मद्धे दिया या किया जाए, जिसका मूल्य या रकम पांच सौ रुपए या उससे अधिक हो।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294क पर प्रभाव न पड़ेगा—इस धारा की कोई भी बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे संव्यवहार को, जिसे भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 294क लागू है, वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 3

समाश्रित संविदाओं के विषय में

31. “समाश्रित संविदा” की परिभाषा—“समाश्रित संविदा” वह संविदा है जो ऐसी संविदा से साम्प्रार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो।

दृष्टांत

ख से **क** संविदा करता है कि यदि **ख** का गृह जल जाए तो वह **ख** को 10,000 रुपए देगा। यह समाश्रित संविदा है।

32. ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो—उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन, जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो।

यदि वह घटना असम्भव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं।

दृष्टांत

(क) **ख** के **क** संविदा करता है कि यदि **ग** के मरने के पश्चात् **क** जीवित रहा तो वह **ख** का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक **क** के जीवन-काल में **ग** मर न जाए।

(ख) **ख** से **क** संविदा करता है कि यदि **ग** ने, जिससे घोड़ा बेचने की प्रस्थापना की गई है, उसे खरीदने से इन्कार कर दिया तो वह **ख** को वह घोड़ा विनिर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा; इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक **ग** घोड़े को खरीदने से इन्कार न कर दे।

(ग) **क** यह संविदा करता है कि जब **ग** से **ख** विवाह कर लेगा तो **ख** को **क** नियत धनराशि देगा। **ख** से विवाह हुए बिना **ग** मर जाती है। संविदा शून्य हो जाती है।

33. उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हों—उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन, जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हों, तब कराया जा सकता है जब उस घटना की घटित होना असम्भव हो जाए उससे पूर्व नहीं।

दृष्टांत

क करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आए तो वह **ख** को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है।

34. जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असम्भव समझी जाएगी—यदि वह भावी घटना, जिस पर कोई संविदा समाश्रित है, वह प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना सम्भव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर, या उत्तरदायी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असम्भव कर दे।

दृष्टांत

क करार करता है कि यदि **ग** से **ख** विवाह करे तो वह **ख** को एक धनराशि देगा। **घ** से **ग** विवाह कर लेती है। अब **ग** से **ख** का विवाह असम्भव समझा जाना चाहिए यद्यपि यह सम्भव है कि **घ** की मृत्यु हो जाए और तत्पश्चात् **ख** से **ग** विवाह कर ले।

¹ देखिए गोमिंग ऐक्ट (विक्ट० 8 और 9, सी 109) धारा 18।

35. **संविदाएं, जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हों, कब शून्य हो जाती हैं**—समाश्रित संविदाएं, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हों, शून्य हो जाती हैं, यदि उस अनिश्चित नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असम्भव हो जाए।

विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा—समाश्रित संविदाएं, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हों, विधि द्वारा तब प्रवर्तित कराई जा सकेंगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित न हुई हो या उस नियत समय के अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी।

दृष्टांत

(क) क वचन देता है कि यदि अमुक पोत एक वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह **ख** को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाएगी।

(ख) क वचन देता है कि यदि अमुक पोत एक वर्ष के भीतर न लौटे तो वह **ख** को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा।

36. **असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है**—समाश्रित करार, जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या न करने के लिए हों, शून्य हैं, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था।

दृष्टांत

(क) क करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह **ख** को 1,000 रुपए देगा। करार शून्य है।

(ख) क करार करता है कि यदि क की पुत्री ग से **ख** विवाह कर ले तो वह **ख** को 1,000 रुपए देगा। करार के समय ग मर चुकी थी। करार शून्य है।

अध्याय 4

संविदाओं के पालन के विषय में

संविदाएं जिनका पालन करना होगा

37. **संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता**—संविदा के पक्षकारों को या तो अपने-अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गई हो।

वचन, उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में, ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आवद्ध करते हैं, जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो।

दृष्टांत

(क) क, 1,000 रुपए का संदाय किए जाने पर **ख** को अमुक दिन माल परिदत्त करने का वचन देता है। क उस दिन से पहले ही मर जाता है। क के प्रतिनिधि **ख** को माल परिदत्त करने के लिए आवद्ध हैं और क के प्रतिनिधियों को **ख** 1,000 रुपए देने के लिए आवद्ध है।

(ख) क, अमुक कीमत पर अमुक दिन तक **ख** के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है। क उस दिन से पहले ही मर जाता है। यह संविदा क के प्रतिनिधियों द्वारा या **ख** द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है।

38. **पालन की प्रस्थापना प्रतिगृहीत करने से इन्कार का प्रभाव**—जब कि किसी वचनदाता ने वचनगृहीता से पालन की प्रस्थापना की हो और वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत नहीं की गई हो तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न तद्द्वारा वह संविदा के अधीन के अपने अधिकारों को खो देता है।

ऐसी हर प्रस्थापना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(1) वह अशर्त ही होगी;

(2) उसे उचित समय और स्थान पर और ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति को, जिससे वह की जाए, यह अभिनिश्चित करने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है, वह समस्त, जिसे करने को वह अपने वचन द्वारा आवद्ध है, वहीं और उसी समय करने के लिए योग्य और रजामन्द है;

(3) यदि वह प्रस्थापना वचनगृहीता को कोई चीज परिदत्त करने के लिए हो तो वचनगृहीता को यह देखने का युक्तियुक्त अवसर मिलना ही चाहिए कि प्रस्थापित चीज वही चीज है जिसे परिदत्त करने के लिए वचनदाता अपने वचन द्वारा आबद्ध है।

कई संयुक्त वचनगृहीताओं में से एक से की गई प्रस्थापना से विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सबसे की गई प्रस्थापना के।

दृष्टांत

ख को उसके भाण्डागार में विशिष्ट क्वालिटी की रुई की 100 गांठें 1873 की मार्च की पहली तारीख को परिदत्त करने की संविदा क करता है। इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्थापना की जाए जिसका प्रभाव वह हो, जो इस धारा में कथित है, **क** को वह रुई नियत दिन को **ख** के भाण्डागार में ऐसी परिस्थितियों के अधीन लानी होगी कि **ख** को अपना यह समाधान कर लेने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि प्रस्थापित चीज उस क्वालिटी की रुई है जिसकी संविदा की गई थी और यह कि 100 गांठें हैं।

39. वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इंकार का प्रभाव—जब कि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इन्कार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो तब वचनगृहीता संविदा का अन्त कर सकेगा, यदि उसने उसको चालू रखने को शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो।

दृष्टांत

(क) एक गायिका **क** एक नाट्यगृह के प्रबंधक **ख** से अगले दो मास के दौरान में प्रति सप्ताह में दो रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और **ख** उसे हर रात के गाने के 100 रुपए देने का वचनबंध करता है। छठी रात को **क** नाट्यगृह से जानबूझकर अपुपस्थित रहती है। **ख** संविदा का अन्त करने के लिए स्वतंत्र है।

(ख) एक गायिका **क** एक नाट्यगृह के प्रबंधक **ख** से अगले दो मास के दौरान में प्रति सप्ताह में दो रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और **ख** उसे प्रति रात के लिए 100 रुपए की दर से संदाय करने का वचनबंध करता है। छठी रात को **क** जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। **ख** की अनुमति से **क** सातवीं रात को जाती है। **ख** ने संविदा के जारी रहने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है और अब वह उसका अन्त नहीं कर सकता। किन्तु छठी रात को **क** के न गाने से उठाए गए नुकसान के लिए वह प्रतिकर का हकदार है।

संविदा का पालन किसे करना होगा

40. वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है—यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अन्तर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे।

दृष्टांत

(क) **ख** को एक धनराशि देने का वचन **क** देता है। **क** इस वचन का पालन **ख** को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा। और यदि संदाय के लिए नियत समय से पूर्व **क** मर जाए तो उसके प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा या उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा।

(ख) **ख** के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन **क** देता है। **क** को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा।

41. अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगृहीत करने का प्रभाव—जबकि वचनगृहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिगृहीत कर लेता है तब वह तत्पश्चात् उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता।

42. संयुक्त दायित्वों का न्यागमन—जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनो के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात् उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात् सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः पूरा करना होगा।

43. संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा—जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में तब तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचनगृहीता, ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी [एक या अधिक] को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा।

हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा—दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा, जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 2, भाग 1 द्वारा “एक” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बंटाना—यदि दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को ऐसे व्यतिक्रम से उद्भूत हानि को समान अंशों में सहन करना होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा की कोई भी बात किसी प्रतिभू द्वारा मूलऋणी की ओर से किए गए संदायों को अपने मूलऋणी से उस प्रतिभू को वसूल करने से निवारित नहीं करेगी और न मूलऋणी द्वारा किए गए संदायों के कारण से प्रतिभू से कुछ भी वसूल करने का हकदार बनाएगी।

दृष्टांत

(क) क, ख और ग, 3,000 रुपए घ को देने का संयुक्ततः वचन देते हैं। घ चाहे क या ख या ग को विवश कर सकेगा कि वह उसे 3,000 रुपए दे।

(ख) क, ख और ग 3,000 रुपए घ को देने का संयुक्ततः वचन देते हैं। ग पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। क दिवालिया है, किन्तु उसकी आस्तियां उसके ऋणों के अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त है। क की सम्पदा से 500 रुपए और ख से 1,250 रुपए पाने का ग हकदार है।

(ग) घ को 3,000 रुपए देने का संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया है। ग कुछ भी देने के लिए असमर्थ है, और क पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। ख से क 1,500 रुपए पाने का हकदार है।

(घ) घ को 3,000 रुपए देने का संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया है। ग के लिए क और ख प्रतिभू मात्र हैं। ग रुपयों के संदाय में असफल रहता है। क और ख पूर्ण राशि देने के लिए विवश किए जाते हैं। वे उसे ग से वसूल करने के हकदार हैं।

44. संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव—जहां कि दो या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया हो, वहां वचनगृहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती, और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं¹ के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्त करती है।

45. संयुक्त अधिकारों का न्यागमन—जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनो के दौरान में उनकी, और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात् ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात् उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः² होता है।

दृष्टांत

क अपने को ख और ग द्वारा उधार दिए गए, 5,000 रुपयों के प्रतिफल में संयुक्ततः ख और ग को वह राशि व्याज समेत विनिर्दिष्ट दिन प्रतिसंदत्त करने का वचन देता है। ख मर जाता है। पालन का दावा करने का अधिकार ग के जीवन के दौरान में ख के प्रतिनिधियों को ग के साथ संयुक्ततः और ग की मृत्यु के पश्चात् ख और ग के प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है।

पालन के लिए समय और स्थान

46. वचन पालन के लिए समय जहां कि पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो—जहां कि संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचनगृहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो वहां वचनबन्ध का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा।

स्पष्टीकरण—“युक्तियुक्त समय क्या है”, यह प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है।

47. वचन पालन के लिए समय और स्थान जहां कि पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो—जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने वचनगृहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो तब कारबार के प्रायिक घंटों के दौरान में किसी भी समय ऐसे दिन और उस स्थान पर, जिस पर उस वचन का पालन किया जाना चाहिए, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा।

दृष्टांत

क वचन देता है कि वह पहली जनवरी को ख के भाण्डागार में माल परिदत्त करेगा। उस दिन क माल को ख के भाण्डागार में लाता है, किन्तु उसके बन्द होने के प्रायिक घंटे के पश्चात् और माल नहीं लिया जाता। क ने अपने वचन का पालन नहीं किया।

48. अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा—जब कि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने यह भार अपने ऊपर न ले लिया हो कि वह वचनगृहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा तब वचनगृहीता का यह कर्तव्य है कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान पर और कारबार के प्रायिक घंटों के भीतर करे।

¹ धारा 138 देखिए।

² सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में धारा 45 के अपवाद के लिए देखिए लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 8।

स्पष्टीकरण—“उचित समय और स्थान क्या है”, यह प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है।

49. वचन के पालन के लिए स्थान, जहां कि पालन के लिए, आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत न हो—जबकि किसी वचन का पालन वचनगृहीता के आवेदन के बिना किया जाना हो और उसके पालन के लिए कोई स्थान नियत न हो तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वह वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करने के लिए वचनगृहीता से आवेदन करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करे।

दृष्टांत

क एक हजार मन पटसन ख को एक नियत दिन परिदत्त करने का वचन देता है। क को ख से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करे और क को ऐसे स्थान पर पटसन परिदत्त करना होगा।

50. वचनगृहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन—किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से और उस समय पर किया जा सकेगा, जिसे वचनगृहीता विहित या मंजूर करे।

दृष्टांत

(क) क को ख 2,000 रुपए का देनदार है। क चाहता है कि ख उस रकम को एक बैंककार ग के यहां क के खाते में जमा करा दे। ख का भी ग के यहां खाता है और वह यह आदेश देता है कि वह रकम उसके खाते में से अन्तरित करके क के नाम जमा कर दी जाए और ग ऐसा कर देता है। तत्पश्चात् और उस अन्तरण का ज्ञान क को होने के पूर्व ग का कारबार बैठ जाता है। ख का संदाय ठीक है।

(ख) क और ख परस्पर ऋणी हैं। क और ख एक मद को दूसरी में से मुजरा करके लेखा का परिनिर्धारण कर लेते हैं और ऐसे परिनिर्धारण पर जो धन उससे शोध्य बाकी निकलता है उसे क को ख देता है। यह क और ख द्वारा एक दूसरे को देय राशियों का संदाय क्रमशः एक दूसरे को हो जाता है।

(ग) क का ख 2,000 रुपए का देनदार है। उस ऋण में कमी करने के लिए क का कुछ माल ख प्रतिगृहीत करता है। माल के परिदान से भागिक संदाय हो जाता है।

(घ) क यह चाहता है कि ख, जो उसे 100 रुपए का देनदार है, उसे डाक द्वारा 100 रुपए का नोट भेजे। जैसे ही ख उस नोट सहित चिट्ठी को, जिस पर क का पता सम्यक् रूप से लिखा है, डाक में डालता है वैसे ही ऋण का सम्मोचन हो जाता है।

व्यतिकारी वचनों का पालन

51. वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचनगृहीता पालन के लिए तैयार और रजामन्द न हो—जबकि कोई संविदा साथ-साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वचनगृहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामन्द न हो।

दृष्टांत

(क) क और ख संविदा करते हैं कि ख को क माल परिदत्त करेगा जिसके लिए संदाय माल के परिदान पर ख द्वारा किया जाएगा।

माल का परिदान करना क के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि ख परिदान पर माल के लिए संदाय करने को तैयार और रजामन्द न हो।

माल के लिए संदाय करना ख के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि संदाय पर माल को परिदत्त करने के लिए क तैयार और रजामन्द न हो।

(ख) क और ख संविदा करते हैं कि क किस्तों में दी जाने वाली कीमत पर ख को माल परिदत्त करेगा, और पहली किस्त परिदान पर दी जाती है।

माल का परिदान करना क के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि ख परिदान पर पहली किस्त देने के लिए तैयार और रजामन्द न हो।

पहली किस्त देना ख के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि क पहली किस्त के संदाय पर माल परिदत्त करने के लिए तैयार और रजामन्द न हो।

52. व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम—जहां कि वह क्रम जिससे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाना है, संविदा द्वारा अभिव्यक्ततः नियत हो वहां उनका पालन उसी क्रम से किया जाएगा और जहां कि वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्ततः नियत न हो वहां उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जो उस संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो।

दृष्टांत

(क) क और ख संविदा करते हैं कि क नियत कीमत पर ख के लिए एक गृह बनाएगा। क को गृह बनाने के वचन का पालन ख द्वारा उसके लिए संदाय के वचन के पालन से पहले करना होगा।

(ख) क और ख संविदा करते हैं कि क अपना व्यापार-स्टाक एक नियत कीमत पर ख को दे देगा, और ख धन के संदाय के लिए प्रतिभूति देने का वचन देता है। क के वचन का पालन किया जाना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक प्रतिभूति न दे दी जाए, क्योंकि इस संव्यवहार की प्रकृति यह अपेक्षा करती है कि अपने व्यापार-स्टाक का परिदान करने से पूर्व क को प्रतिभूति मिलनी चाहिए।

53. जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व—जब कि किसी संविदा में व्यतिकारी वचन अन्तर्विष्ट हो और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है; और वह किसी भी हानि के लिए, जो संविदा के अपालन के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार से प्रतिकर पाने का हकदार है।

दृष्टांत

क और ख संविदा करते हैं कि ख एक हजार रुपए के बदले क के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा। ख उस काम को तदनुसार निष्पादित करने के लिए तैयार और रजामन्द है, किन्तु क उसे वैसा करने से निवारित करता है। संविदा ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है; और यदि वह उसे विखंडित करने का निर्वाचन करे तो वह किसी भी हानि के लिए, जो उसने उसके अपालन से उठाई हो, क से प्रतिकर वसूल करने का हकदार है।

54. व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में, उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए—जबकि कोई संविदा ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित हो जिनमें से एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सके जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए और अन्तिम-वर्णित वचन का वचनदाता उसका पालन करने में असफल रहे तब ऐसा वचनदाता व्यतिकारी वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को, किसी भी हानि के लिए, जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा के अपालन से उठाए, प्रतिकर देना होगा।

दृष्टांत

(क) ख के पोत को क अपने द्वारा दिए जाने वाले स्थोरा को भरने और कलकत्ते से मौरीशस तक प्रवहण करने के लिए भाड़े पर लेता है। उसके प्रवहण के लिए ख को अमुक ढुलाई मिलनी है। क पोत के लिए कोई स्थोरा नहीं देता। ख के वचन के पालन का दावा क नहीं कर सकता और ख को, उस हानि के लिए, जो ख उस संविदा के अपालन से उठाए, प्रतिकर देना होगा।

(ख) क एक नियत कीमत पर कोई निर्माण कर्म निष्पादित करने के लिए ख से संविदा करता है, उस फर्म के लिए आवश्यक पाइ और काष्ठ ख द्वारा दिया जाना है। ख पाइ या काष्ठ देने से इन्कार करता है, और कर्म निष्पादित नहीं किया जा सकता। कर्म का निष्पादन करना क के लिए आवश्यक नहीं है, और क को, किसी भी हानि के लिए जो उस संविदा के अपालन से कारित हो, प्रतिकर देने के लिए ख आबद्ध है।

(ग) ख से क संविदा करता है कि वह उस वाणिज्या को, जो एक पोत पर है, जो एक मास तक नहीं पहुंच सकता। विनिर्दिष्ट कीमत पर उसे परिदत्त करेगा, और ख संविदा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उस वाणिज्या के लिए संदाय करने का वचनबन्ध करता है। ख उस सप्ताह के भीतर संदाय नहीं करता। परिदान करने के क के वचन का पालन आवश्यक नहीं है और ख को प्रतिकर देना होगा।

(घ) ख को क वाणिज्या की सौ गांठें बेचने का वचन देता है जिनका परिदान अगले दिन किया जाने वाला है और उनके लिए एक मास के भीतर संदाय करने का वचन क को ख देता है। क अपने वचन के अनुसार परिदान नहीं करता। संदाय करने के ख के वचन का पालन आवश्यक नहीं है और क को प्रतिकर देना होगा।

55. उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव—जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व, या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समयों पर या उनसे पूर्व करने का वचन दे और ऐसी किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा या उसमें से उतनी, जितनी का पालन न किया गया हो, वचनगृहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए।

ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है—यदि पक्षकारों का यह आशय न रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए तो संविदा ऐसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहने से शून्यकरणीय नहीं होगी, किन्तु वचनगृहीता ऐसी असफलता से उसे हुई किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर पाने का हकदार है।

करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव—यदि ऐसी संविदा की दशा में, जो कारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्यकरणीय हो, वचनगृहीता ऐसे वचन का करारित समय से भिन्न किसी

¹ धारा 73 भी देखिए।

समय पर किया गया पालन प्रतिगृहीत कर ले तो वचनगृहीता करारित समय पर वचन के अपालन से हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा¹ करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो।

56. असम्भव कार्य करने का करार—वह करार, जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, जो स्वतः असंभव है, शून्य है।

उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात् असम्भव या विधिविरुद्ध हो जाए—ऐसा कार्य करने की संविदा, जो संविदा के किए जाने के पश्चात् असम्भव था किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधिविरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असम्भव या विधिविरुद्ध² हो जाए।

ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असम्भव या विधिविरुद्ध होना ज्ञात हो—जहां कि एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने या वचन दिया हो जिसका असम्भव या विधिविरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था और वचनगृहीता नहीं जानता था, वहां जो कोई हानि ऐसे वचनगृहीता को उस वचन के अपालन से हो, उसके लिए ऐसा वचनदाता ऐसे वचनगृहीता को प्रतिकर देगा।

दृष्टान्त

(क) जादू से गुप्तनिधि का पता चलाने का **ख** से **क** करार करता है। यह करार शून्य है।

(ख) **क** और **ख** आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं; विवाह के लिए नियत समय से पूर्व **क** पागल हो जाता है संविदा शून्य हो जाती है।

(ग) **क**, जो पहले से ही **ग** से विवाहित है और जिसके लिए बहुपत्नीत्व उस विधि द्वारा, जिसके वह अध्यक्षीन है, निषिद्ध है, **ख** से विवाह करने की संविदा करता है। उसके वचन के अपालन से **ख** को हुई हानि के लिए **क** को उसे प्रतिकर देना होगा।

(घ) **क** संविदा करता है कि वह एक विदेशी पत्तन पर **ख** के लिए स्थोरा भरेगा। तत्पश्चात् **क** की सरकार उस देश के विरुद्ध, जिसमें वह पत्तन स्थित है, युद्ध की घोषणा कर देती है। संविदा तब शून्य हो जाती है जब युद्ध घोषित किया जाता है।

(ङ) **ख** द्वारा अग्रिम दी गई राशि के प्रतिफल पर **क** छह मास के लिए एक नाट्यगृह में अभिनय करने की संविदा करता है। अनेक अवसरों पर **क** बहुत बीमार होने के कारण अभिनय नहीं कर सकता। उन अवसरों पर अभिनय करने की संविदा शून्य हो जाती है।

57. वैध बातों, और ऐसी अन्य बातों को भी, जो अवैध हों, करने का व्यतिकारी वचन—जहां कि कोई व्यक्ति, प्रथमतः कुछ ऐसी बातें करने का, जो वैध हों, और द्वितीयतः विनिर्देशित परिस्थितियों में, कुछ अन्य बातें करने का, जो अवैध हों, व्यतिकारी वचन देते हैं, वहां वचनों का प्रथम संवर्ग, संविदा है किन्तु द्वितीय संवर्ग शून्य करार है।

दृष्टान्त

क और **ख** करार करते हैं कि **ख** को एक गृह **क** 10,000 रुपए में बेचेगा, किन्तु यदि **ख** उसे एक द्यूत-गृह के रूप में उपयोग में लाए तो वह **क** को उसके लिए 50,000 रुपए देगा।

व्यतिकारी वचनों का, अर्थात् गृह को बेचने का और उसके लिए 10,000 रुपए देने का प्रथम वचन-संवर्ग एक संविदा है।

द्वितीय संवर्ग एक विधिविरुद्ध उद्देश्य के लिए है, अर्थात् इस उद्देश्य के लिए है कि **ख** उस गृह को द्यूत-गृह के रूप में उपयोग में लाए, और वह शून्य करार है।

58. अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो—ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में, जिसकी एक शाखा वैध हो दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है।

दृष्टान्त

क और **ख** करार करते हैं कि **ख** को **क** 10,000 रुपए देगा, जिसके लिए **क** को **ख** तत्पश्चात् या तो चावल या तस्करित अफीम परिदत्त करेगा।

यह चावल परिदत्त करने की विधिमान्य संविदा है और अफीम के बारे में शून्य करार है।

संदायों का विनियोग

59. जहां कि वह ऋण उपदर्शित हो, जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदायों का उपयोजन—जहां कि कोई ऋणी, जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हों उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे विवक्षित हो

¹ धारा 62 तथा धारा 63 भी देखिए।

² धारा 65 भी देखिए।

कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है, कोई संदाय करता है वहां उस संदाय को, यदि वह प्रतिगृहीत कर लिया जाए, तदनुसार उपयोजित करना होगा।

दृष्टांत

(क) अन्य ऋणों के साथ-साथ एक वचनपत्र पर, जो पहली जून को शोध्य है, **ख** का **क** 1,000 रुपए का देनदार है। वह **ख** को उसी रकम के किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है। पहली जून को **ख** को **क** 1,000 रुपए देता है। यह संदाय वचनपत्र का उन्मोचन करने के लिए उपयोजित किया जाना है।

(ख) अन्य ऋणों के साथ-साथ **ख** को **क** 567 रुपए का देनदार है। **क** से **ख** इस राशि के संदाय की लिखित मांग करता है। **ख** को **क** 567 रुपए भेजता है। यह संदाय उस ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है जिनके संदाय की मांग **ख** ने की थी।

60. जहां कि वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदाय का उपयोजन—जहां कि ऋणी ने यह प्रज्ञापित नहीं किया है और कोई अन्य ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिनसे यह उपदर्शित होता हो कि वह संदाय किस ऋण के लिए उपयोजित किया जाना है वहां लेनदार स्वविवेकानुसार उसे ऐसे किसी विधिपूर्ण ऋण मद्दे उपयोजित कर सकेगा, जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध्य और देय हो, चाहे उसकी वसूली वादों की परिसीमा सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हो या न हो।

61. जहां कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है वहां संदाय का उपयोजन—जहां कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहां वह संदाय समयक्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा, चाहे वे ऋण वादों की परिसीमा सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हों या न हों। यदि ऋण समकालिक हैं तो संदाय हर एक के उन्मोचन में अनुपाततः उपयोजित किया जाएगा।

वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है

62. संविदा के नवीयन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव—यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या उस संविदा को विखंडित या परिवर्तित करने का करार करें तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता न होगी।

दृष्टांत

(क) **क** एक संविदा के अधीन **ख** को धन का देनदार है। **क**, **ख** और **ग** के बीच यह करार होता है कि **ख** तत्पश्चात् **क** के बजाय **ग** को अपना ऋणी मानेगा। **क** पर **ख** के पुराने ऋण का अन्त हो गया है और **ग** पर **ख** के एक नए ऋण की संविदा हो गई है।

(ख) **ख** का **क** 10,000 रुपए का देनदार है। **ख** से **क** ठहराव करता है और **ख** को 10,000 रुपए के ऋण के बदले 5,000 रुपए के लिए **क** की सम्पदा बन्धक करता है। यह नई संविदा है और पुरानी को निर्वापित कर देती है।

(ग) **क** एक संविदा के अधीन **ख** को 1,000 रुपए का देनदार है। **ग** का **ख** 1,000 रुपए का देनदार है। **क** और **ख** आदेश देता है कि वह अपने बहियों में **ग** के नाम 1,000 रुपए जमा कर दे, किन्तु **ग** इस ठहराव के लिए अनुमति नहीं देता। **ख** अब भी **ग** का 1,000 रुपए का देनदार है और कोई नई संविदा नहीं की गई है।

63. वचनगृहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा—हर वचनगृहीता अपने को दिए गए किसी वचन के पालन¹ से अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णतः या भागतः दे या कर सकेगा, या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकेगा, या उसके स्थान पर किसी तृष्टि को, जिसे वह ठीक समझे, प्रतिगृहीत कर सकेगा।

दृष्टांत

(क) **ख** के लिए **क** एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है। तत्पश्चात् **ख** उससे वैसा करने का निषेध कर देता है। **क** उस वचन के पालन के लिए अब बाध नहीं है।

(ख) **ख** का **क** 5,000 रुपए का देनदार है। **क** उस समय और स्थान पर, जिस पर 5,000 रुपए थे, **ख** को 2,000 रुपए देता है और **ख** सम्पूर्ण ऋण की तुष्टि में उन्हें प्रतिगृहीत कर लेता है। सम्पूर्ण ऋण का उन्मोचन हो जाता है।

(ग) **ख** का **क** 5,000 रुपए का देनदार है। **ख** को **ग** 1,000 रुपए देता है और **ख** उन्हें **क** पर अपने दावे की तुष्टि में प्रतिगृहीत कर लेता है। यह संदाय सम्पूर्ण दावे² का उन्मोचन है।

(घ) **क** एक संविदा के अधीन **ख** का ऐसी धनराशि का देनदार है जिसका परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया गया है। **क** परिणाम अभिनिश्चित किए बिना **ख** को 2,000 रुपए देता है और **ख** उसे उसकी तुष्टि में प्रतिगृहीत कर लेता है। यह सम्पूर्ण ऋण का उन्मोचन है चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो।

¹ धारा 135 भी देखिए।

² धारा 41 भी देखिए।

(ङ) **ख** का **क** 2,000 रुपए का देनदार है और अन्य लेनदारों का भी ऋणी है। **ख** समेत अपने लेनदारों से **क** उनकी अपनी-अपनी मांगों का [प्रशमन] करने के लिए उन्हें रुपए में आठ आने देने का ठहराव करता है। **ख** को 1,000 रुपए का संदाय **ख** की मांग का उन्मोचन है।

64. शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के परिणाम—जबकि कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय है, उसे विखण्डित कर देता है तब उसके दूसरे पक्षकार को, उसमें अन्तर्विष्ट किसी वचन का, जिसका वह वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणीय संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने, यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तद्धीन कोई फायदा प्राप्त किया है, तो वह ऐसा फायदा, उस व्यक्ति को, जिससे वह प्राप्त² किया गया था, यथासंभव प्रत्यावर्तित कर देगा।

65. उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो फायदा प्राप्त किया हो—जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जाए तब वह व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो वह फायदा उस व्यक्ति को, जिससे उसने उसे प्राप्त किया था, प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने को आबद्ध होगा।

दृष्टांत

(क) **ख** के यह वचन देने के प्रतिफलस्वरूप कि वह **क** को पुत्री **ग** से विवाह कर लेगा **ख** को **क** 1,000 रुपए देता है। वचन के समय **ग** मर चुकी है। करार शून्य है, किन्तु **ख** को वे 1,000 रुपए **क** को प्रतिसंदत्त करने होंगे।

(ख) **ख** से **क** उसे एक मई के पूर्व 250 मन चावल परिदत्त करने की संविदा करता है। **क** उस दिन के पूर्व केवल 130 मन परिदत्त करता है और तत्पश्चात् कुछ नहीं। **ख** उस 130 मन को एक मई के पश्चात् रखे रखता है। वह **क** को उसके लिए संदाय करने को आबद्ध है।

(ग) एक गायिका **क** एक नाट्यगृह प्रबन्धक **ख** से अगले दो मास में प्रति सप्ताह में दो रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और **ख** उसे हर रात के गाने के लिए सौ रुपए देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को **क** उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है, और परिणामस्वरूप **ख** उस संविदा को विखंडित कर देता है। **ख** को उन पांचों रातों के लिए, जिनमें **क** ने गायी था, उसे संदाय करना होगा।

(घ) **क** एक संगीत समारोह में 1,000 रुपए पर, जो अग्रिम दिए जाते हैं, **ख** के लिए गाने की संविदा करती है। **क** इतनी रुग्ण है कि गा नहीं सकती। **क** उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है जो **ख** को होते यदि **क** गा सकती किन्तु उसे अग्रिम दिए गए, 1,000 रुपए **ख** को लौटाने होंगे।

66. शून्यकरणीय संविदा के विखंडन का संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति—शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्यधीन संसूचित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना³ की संसूचना या प्रतिसंहरण को लागू है।

67. पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचनगृहीता की उपेक्षा का प्रभाव—यदि कोई वचनगृहीता किसी वचनदाता को उसके वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य देने में उपेक्षा या देने से इन्कार करे तो तद्द्वारा कारित किसी भी अपालन के बारे में ऐसी उपेक्षा या इन्कार के कारण वचनदाता की माफी हो जाती है।

दृष्टांत

ख के गृह की मरम्मत करने की **ख** से **क** संविदा करता है।

जिन स्थानों में उसके गृह की मरम्मत अपेक्षित है, **ख** उन्हें **क** को बताने में उपेक्षा या बताने से इन्कार करता है।

संविदा के अपालन के लिए **क** की माफी हो जाती है यदि वह ऐसी उपेक्षा या इन्कार से कारित हुआ हो।

अध्याय 5

संविदा द्वारा सृजित सम्बन्धों के सदृश कतिपय सम्बन्धों के विषय में

68. संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा—यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन-पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं तो वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं, ऐसे असमर्थ व्यक्ति⁴ की सम्पत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 2, भाग 1 द्वारा “प्रतिकर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² धारा 75 भी देखिए।

³ धारा 3 तथा धारा 5 भी देखिए।

⁴ मध्य प्रांतों में सरकारी प्रतिपाल्य की संपत्ति इस धारा के अधीन दायी नहीं है; देखिए सेन्ट्रल प्राविन्सेस कोर्ट आफ वाटर्स ऐक्ट, 1899)1899 का 24(की धारा 31)1)।

दृष्टांत

(क) ख को, जो पागल है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है। ख की सम्पत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

(ख) ख को, जो पागल है, पत्नी और बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है। ख की सम्पत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

69. उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है—वह व्यक्ति जो उस धन के, जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

दृष्टांत

जमींदार क के द्वारा अनुदत्त पट्टे पर ख बंगाल में भूमि धारण करता है। क द्वारा सरकार को देय राजस्व के बकाया में होने के कारण उसकी भूमि सरकार द्वारा विक्रय के लिए विज्ञापित की जाती है। ऐसे विक्रय का राजस्व-विधि के अधीन परिणाम ख के पट्टे का बातिल किया जाना होगा। ख विक्रय का और उसके परिणामस्वरूप अपने पट्टे के बातिल किए जाने को निवारित करने के लिए क द्वारा शोध्य राशि सरकार को संदत्त करता है। क इस प्रकार संदत्त रकम की ख को प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है।

70. नानुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता—जहां कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का परिदान¹ आनुग्रहिकतः करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है वहां वह पश्चात्कथित व्यक्ति, उस पूर्वकथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात या परिदत्त चीज के बारे में प्रतिकर देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है।

दृष्टांत

(क) एक व्यापारी क कुछ माल ख के गृह पर भूल से छोड़ जाता है। ख उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है। उसके लिए क को संदाय करने के लिए वह आबद्ध है।

(ख) ख की सम्पत्ति को क आग से बचाता है। यदि परिस्थितियां दर्शित करती हों कि क का आशय आनुग्रहिकतः कार्य करने का था, तो वह ख से प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है।

71. माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व—वह व्यक्ति, जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्यक्षीन है जिसके अध्यक्षीन उपनिहिती² होता है।

72. उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया जाता है—जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गई है, उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी।

दृष्टांत

(क) क और ख संयुक्ततः ग के 100 रुपए के देनदार हैं। अकेला क ही ग को वह रकम संदत्त कर देता है और इस तथ्य को न जानते हुए, ग को ख 100 रुपए फिर संदत्त कर देता है। इस रकम का ख को प्रतिसंदाय करने के लिए ग आबद्ध है।

(ख) एक रेल-कम्पनी परेषिती को अमुक माल, जब तक कि वह उसके वहन के लिए अवैध प्रभार न दे, परिदत्त करने से इन्कार करती है। परेषिती माल को अभिप्राप्त करने के लिए प्रभार की वह राशि संदत्त कर देता है। वह उस प्रभार में से उतना वसूल करने का हकदार है जितना अविधितः अधिक था।

अध्याय 6

संविदा-भंग के परिणामों के विषय में

73. संविदा-भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर—जब कि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है, उस पक्षकार से, जिसने संविदा भंग की है, अपने को तद्द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो, जिसका संविदा-भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी।

ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना है।

¹ प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों में धारा 70 के अधीन अप्राप्तवर्षों के वादों के बारे में देखिए प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882)1882 का 15(की धारा 32।

² धारा 151 तथा धारा 152 भी देखिए।

संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश्य बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिकर—जब कि कोई बाध्यता, जो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश्य हो, उपगत कर ली गई है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है तब कोई भी व्यक्ति, जिसे उसके निर्वहन में असफलता से क्षति हुई हो, व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से वही प्रतिकर पाने का हकदार है मानो ऐसे व्यक्ति ने उस बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की हो, और उसने अपनी उस संविदा का भंग किया हो।

स्पष्टीकरण—किसी संविदा-भंग से उद्भूत हानि या नुकसान का प्राक्कलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपालन से हुई असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे।

दृष्टांत

(क) **क**, संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर **ख** को 50 मन शोरा बेचेगा और परिदत्त करेगा, और कीमत उसके परिदान पर संदत्त की जाएगी। **क** अपने वचन को भंग कर देता है। **ख** प्रतिकर के रूप में **क** से उतनी राशि, यदि कोई हो, पाने का हकदार है, जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है जितनी पर **ख** वैसी क्वालिटी का 50 मन शोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जिस समय वह शोरा परिदत्त किया जाना चाहिए था।

(ख) **ख** के पोत को मुम्बई जाने और वहां पहली जनवरी को **क** द्वारा उपबन्धित किया जाने वाला स्थोरा भरने और कलकत्ता लाने के लिए **क** भाड़े पर लेता है। ढुलाई उपार्जित होने पर दी जानी है। **ख** का, पोत मुम्बई नहीं जाता, किन्तु वैसे ही फायदाप्रद निर्वन्धनों पर, जिन पर **क** ने वह पोत भाड़े पर लिया था, उस स्थोरा के लिए उपयुक्त प्रवहण यान उपाप्त करने के अवसर **क** को प्राप्त हैं। **क** उन अवसरों का उपयोग करता है किन्तु उसे वैसा करने में कष्ट और व्यय उठाना पड़ता है। **क** ऐसे कष्ट और व्यय के लिए **ख** से प्रतिकर पाने का हकदार है।

(ग) **ख** से कथित कीमत पर 50 मन चावल खरीदने की संविदा **क** करता है। चावल के परिदान के लिए कोई समय नियत नहीं है। तत्पश्चात् **ख** को **क** यह जतला देता है कि यदि चावल निविदत्त किया गया तो वह उसे प्रतिगृहीत नहीं करेगा। **क** से **ख** प्रतिकर के रूप में उतनी रकम यदि कोई हो, पाने का हकदार है जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक है जो **ख** उस समय चावल के लिए अभिप्राप्त कर सकता हो जिस समय **ख** को **क** जतलाता है कि वह चावल प्रतिगृहीत नहीं करेगा।

(घ) **ख** को पोत को 60,000 रुपए पर खरीदने की संविदा **क** करता है, किन्तु अपना वचन भंग कर देता है। **क** प्रतिकर के रूप में **ख** को वह अधिकाई, यदि कोई हो, देगा जितनी से संविदा-कीमत उस कीमत से अधिक हो, जो **ख** वचन-भंग के समय पोत के लिए अभिप्राप्त कर सकता था।

(ङ) **क**, जो एक नौका का स्वामी है, विनिर्दिष्ट दिन प्रस्थान करके मिर्जापुर को वहां विक्रय के लिए पटसन के स्थोरा को ले जाने की **ख** से संविदा करता है। किसी परिहार्य हेतु से नौका नियत समय पर प्रस्थान नहीं करती जिससे वह स्थोरा मिर्जापुर में उस समय के पश्चात् पहुंचता है जिस समय वह पहुंचता यदि उस नौका ने संविदा के अनुसार प्रस्थान किया होता। उस तारीख के पश्चात् और स्थोरा के पहुंचने से पूर्व पटसन की कीमत गिर जाती है। **क** द्वारा **ख** को देय प्रतिकर का परिणाम वह अन्तर है जो उस कीमत का, जो स्थोरा के लिए **ख** मिर्जापुर में उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जब कि वह पहुंचता यदि वह सम्यक् अनुक्रम में भेजा गया होता उस कीमत से है, जो उस समय, उस स्थोरा की बाजार में हो, जब वह वास्तव में पहुंचा।

(च) **ख** के गृह की मरम्मत अमुक प्रकार से करने के लिए संविदा **क** करता है और उसके लिए संदाय अग्रिम पाता है। **क** गृह की मरम्मत कर करता है किन्तु संविदा के अनुसार नहीं। **ख** वह खर्चा **क** से वसूल करने का हकदार है जो इसलिए करना हो कि मरम्मत संविदा के अनुरूप हो जाए।

(छ) **क** अपना पोत अमुक भाड़े पर **ख** को पहली जनवरी से एक वर्ष के लिए देने की संविदा करता है। ढुलाई की दरें चढ़ जाती हैं और पहली जनवरी को पोत के लिए अभिप्रायः भाड़ा संविदा भोड़े से ऊंचा है। **क** अपना वचन भंग करता है। उसे संविदा-भाड़े और उस भाड़े के बीच के अन्तर के बराबर की राशि **ख** को प्रतिकर के रूप में देनी होगी जिस पर **ख** पहली जनवरी को और एक वर्ष के लिए वैसे ही पोत को भाड़े पर ले सकता हो।

(ज) **ख** को लोहे की अमुक मात्रा ऐसी नियत कीमत पर प्रदाय करने की संविदा **क** करता है जो उस कीमत से ऊंची है जिस पर **क** उस लोहे का उपापन और परिदान कर सकता है। **ख** उस लोहे को लेने से सदोष इन्कार कर देता है। लोहे की संविदा-कीमत और उस राशि के बीच का अन्तर, जिस पर **क** उस लोहे को अभिप्राप्त और परिदत्त कर सकता है, **क** के प्रति प्रतिकर के रूप में **ख** को देना होगा।

(झ) **ख** को, जो सामान्य वाहक है, **क** एक मशीन **क** की मिल तक अविलम्ब प्रवहित किए जाने के लिए यह जानकारी देकर परिदत्त करता है कि उस मशीन के अभाव में **क** की मिल रुकी पड़ी है। **ख** मशीन के परिदान में अयुक्तियुक्त विलम्ब करता है और सरकार के साथ होने वाली लाभदायक संविदा **क** के हाथ से उसके परिणामस्वरूप निकल जाती है। **क**, प्रतिकर के रूप में **ख** से उस औसत लाभ की रकम पाने का हकदार है जो उस समय के दौरान में, जिसमें उसका परिदान विलम्बित हुआ, मिल के चालू रहने से हुआ होता, किन्तु सरकार के साथ होने वाली संविदा के हाथ से निकल जाने से हुई हानि के लिए प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है।

(ञ) **ख** से **क** यह संविदा करता है कि वह 100 रुपए प्रति टन की दर से 1,000 टन लोहा, जो कथित समय पर परिदत्त किया जाएगा, उसे प्रदाय करेगा। वह **ग** को यह बतलाकर कि मैं **ख** के साथ हुई अपनी संविदा का पालन करने के प्रयोजन से तुम से संविदा कर रहा हूं उससे 80 रुपए प्रति टन दर से 1,000 टन लोहा लेने की संविदा करता है। **क** के साथ अपनी संविदा का पालन करने में **ग**

असफल होता है। क दूसरा लोहा उपाप्त नहीं कर सकता और उसके परिणामस्वरूप ख संविदा का विखंडन कर देता है। क के प्रति ग को, 20,000 रुपए देने होंगे जो उस लाभ की रकम है जो ख से अपनी संविदा का पालन करने पर क प्राप्त करता।

(ट) क अमुक मशीनरी को विनिर्दिष्ट कीमत पर नियत दिन तक बनाने और परिदत्त करने की ख से संविदा करता है। क उस मशीनरी को विनिर्दिष्ट समय पर परिदत्त नहीं करता और इसके परिणामस्वरूप ख उस कीमत से, जो वह क को देने वाला था, ऊंची कीमत पर कोई दूसरी मशीनरी उपाप्त करने के लिए विवश हो जाता है, और उस संविदा का पालन नहीं कर सकता जो क के साथ की गई अपनी संविदा के समय ख ने एक पर-व्यक्ति से की थी (किंतु जिसकी सूचना उसने तब तक क को नहीं दी थी) और उस संविदा के भंग के लिए प्रतिकर देने को विवश किया जाता है। संविदा द्वारा नियत मशीनरी की कीमत और ख द्वारा किसी दूसरी मशीनरी के लिए दी गई राशि के बीच का अंतर प्रतिकर के रूप में ख के प्रति क को देना होगा किन्तु वह राशि नहीं, जो ख द्वारा पर-व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में दी गई थी।

(ठ) एक निर्माता क पहली जनवरी तक एक गृह निर्मित और पूरा करने की संविदा करता है जिससे ग को, जिसे उस गृह को भाटक पर देने की ख ने संविदा की है, ख उसका कब्जा उस समय दे सके। ख और ग के बीच की संविदा की जानकारी क को दे दी जाती है। क गृह को इतनी बुरी तरह से निर्मित करता है कि पहली जनवरी से पूर्व वह गिर जाता है और ख को उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वह उस भाटक की, जो उसे ग से मिलता हानि उठाता है और ग को अपनी संविदा के भंग के लिए प्रतिकर देने को बाध्य हो जाता है। गृह के पुनर्निर्माण के खर्च के लिए, भाटक की हानि के लिए और ग को दिए गए प्रतिकर के लिए ख के प्रति क को प्रतिकर देना होगा।

(ड) ख को क कुछ वाणिज्य यह वारंटी देते हुए बेचता है कि वह एक विशिष्ट क्वालिटी की है और इस वारंटी के भरोसे ख वैसी ही वारंटी पर उसे ग को बेच देता है। वह माल वारंटी के अनुसार साबित नहीं होता और ग को ख एक धनराशि प्रतिकर के रूप में देने का दायी हो जाता है। ख इस राशि की क द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार है।

(ड) क विनिर्दिष्ट दिन ख को एक धनराशि देने की संविदा करता है। क वह धन उस दिन नहीं देता। उस दिन धन न पाने के परिणामस्वरूप ख अपने ऋण के संदाय में असमर्थ रहता है और पूर्णतया बरबाद हो जाता है। ख को संदाय करने के दिन तक के ब्याज सहित उस मूल राशि के सिवाय, जिसके संदाय की उसने संविदा की थी, ख की अन्य कोई प्रतिपूर्ति करने के लिए क दायी नहीं है।

(ण) क अमुक कीमत पर 50 पर मन शोरा पहली जनवरी को ख को परिदत्त करने की संविदा करता है। तत्पश्चात् ख पहली जनवरी से पूर्व उस शोरे को पहली जनवरी की बाजार-कीमत से ऊंची कीमत पर ग को बेचने की संविदा करता है। क अपना वचनभंग करता है। क द्वारा ख को देय प्रतिकर का प्राक्कलन करने में पहली जनवरी की बाजार-कीमत, न कि वह लाभ, जो ख को क के हाथ बेचने से मिलता, गणना में लिया जाना है।

(त) क रुई की 500 गांठें ख को बेचने और एक नियत दिन पर परिदत्त करने की संविदा करता है। ख के अपने कारबार के संचालन के ढंग के बारे में क कुछ नहीं जानता। क अपना वचन-भंग करता है और ख रुई न होने के कारण अपनी मिल बंद करने के लिए विवश हो जाता है। मिल बंद होने से ख को कारित हानि के लिए ख के प्रति क उत्तरदायी नहीं है।

(थ) अमुक कपड़ा जिससे ख ऐसी विशिष्ट किस्म की टोपियां बनाने का आशय रखता है जिसके लिए उन दिनों के सिवाय और कभी कोई मांग नहीं होती, ख को बेचने और पहली जनवरी को परिदत्त करने की संविदा क करता है। वह कपड़ा नियत के पश्चात् तक परिदत्त नहीं किया जाता और टोपियां बनाने में, उस वर्ष उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कपड़े की संविदा-कीमत और परिदान के समय उसके बाजार-दाम के अंतर को प्रतिकर के रूप में क से ख पाने का हकदार है किंतु वह न तो उन लाभों को पाने का हकदार है जिनको वह टोपियां बनाने से अभिप्राप्त करने की आशा करता था, और न उन व्ययों को, जो टोपियां बनाने के लिए की गई तैयारी में उसे करने पड़े हों।

(द) क, जो एक पोत का स्वामी है, ख से संविदा करता है कि वह उसे पहली जनवरी को यात्रारंभ करने वाले पोत में कलकत्ते से सिडनी ले जाएगा और ख यात्रा भाड़े का आधा भाग निक्षेप के रूप में क को दे देता है। वह पोत पहली जनवरी को यात्रारंभ नहीं करता है उसके परिणामस्वरूप कुछ समय के कलकत्ते में रुके रहने और उस कारण कुछ व्यय उठाने के पश्चात् ख एक अन्य जलयान में सिडनी के लिए प्रस्थान करता है और परिणामस्वरूप सिडनी में देरी से पहुंचने के कारण कुछ धनराशि की हानि उठाता है। ख को ब्याज सहित उसका निक्षेप, और वे व्यय जो उसे कलकत्ते में रुके रहने के कारण उठाने पड़े और पहले पोत के लिए करार पाए गए भाड़े से दूसरे पोत के लिए दिए गए यात्रा भाड़े की अधिकाई, यदि कुछ हो, प्रतिदत्त करने का क दायी है किंतु वह उस धन के लिए दायी नहीं है जिसकी हानि ख ने सिडनी में देर से पहुंचने के कारण उठाई है।

74. जहां कि शास्ति का अनुबंध है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर—¹[जबकि कोई संविदा-भंग कर दी गई है, तब, यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेय होगी या यदि शास्ति के तौर का कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है, यथास्थिति, ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्ति के तौर का अनुबंध हो सकता है।]

¹ 1899 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा धारा 74 के प्रथम पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अपवाद—जब कि कोई व्यक्ति कोई जमानतनामा, मुचलका या उसी प्रकृति की अन्य लिखत करता है, अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन, या [केन्द्रीय सरकार] के या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंधपत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के, जिसमें जनता हितबद्ध हो, पालन के लिए देता है, तब वह किसी ऐसी लिखत की शर्त के भंग होने पर उसमें वर्णित संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है तद्द्वारा आवश्यकतः न तो किसी लोक-कर्तव्य का भार लेता है न ऐसा कार्य करने का वचन देता है जिसमें जनता हितबद्ध हो।

दृष्टांत

(क) **ख** से **क** संविदा करता है कि यदि वह **ख** को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपए देने में असफल रहे तो वह **ख** को, 1,000 रुपए देगा। **क** उस दिन **ख** को 500 रुपए देने में असफल रहता है। **क** से **ख** 1,000 रुपए से अनधिक ऐसा प्रतिकर, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, वसूल करने का हकदार है।

(ख) **ख** से **क** संविदा करता है कि यदि **क** कलकत्ते के भीतर शल्य-चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह **ख** को 5,000 रुपए देगा। **क** कलकत्ते में शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करता है। **ख** 5,000 रुपए से अनधिक उतना प्रतिकर पाने का हकदार है जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझे।

(ग) **क** अमुक दिन न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए मुचलका देता है जिससे ऐसा न करने पर वह 500 रुपए की शास्ति देने के लिए आबद्ध है। उसका मुचलका समपहत हो जाता है। यह सम्पूर्ण शास्ति देने का दायी है।

५(घ) **ख** को **क** छह मास के अंत पर 1,000 रुपए 12 प्रतिशत व्याज के सहित संदाय करने का बंधपत्र इस अनुबंध के साथ लिख देता है कि व्यतिक्रम की दशा में व्याज व्यतिक्रम की तारीख से 75 प्रतिशत की दर से देय होगा। यह शास्ति के तौर का अनुबंध है और **क** से **ख** केवल ऐसा प्रतिकर वसूल करने का हकदार है जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे।

(ङ) **क**, जो एक साहूकार **ख** को धन का देनदार है, यह वचनबंध करता है कि वह उसको अमुक दिन 10 मन अनाज परिदत्त करने द्वारा प्रतिसंदाय करेगा और यह अनुबंध करता है कि यदि वह नियत परिणाम नियत तारीख तक परिदत्त न करे तो वह 20 मन परिदान करने का दायी होगा। यह शास्ति के तौर का अनुबंध है और भंग की दशा में **ख** केवल युक्तियुक्त प्रतिकर का ही हकदार है।

(च) **ख** को **क**, 1,000 रुपए के उधार को पांच मासिक सम किस्तों में प्रतिसंदत्त करने के लिए इस अनुबंध के साथ वचनबद्ध होता है कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर संपूर्ण राशि शोध्य हो जाएगी। यह अनुबंध शास्ति के तौर का नहीं है, और संविदा उसके निबंधनों के अनुसार प्रवर्तित कराई जा सकेगी।

(छ) **ख** से **क** 100 रुपए उधार लेता है और 200 रुपए के लिए बंधपत्र जो चालीस रुपए की पांच वार्षिक किस्तों में देय है, इस अनुबंध के साथ लिख देता है कि किसी भी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर संपूर्ण राशि शोध्य हो जाएगी। यह शास्ति के तौर का अनुबंध है।]

75. संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है—वह व्यक्ति, जो किसी संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है।

दृष्टांत

एक गायिका **क** एक नाट्यगृह के प्रबंधक **ख** से अगले दो मास में प्रति सप्ताह में दो रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और **ख** उसे हर रात के गाने के लिए एक सौ रुपए देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को **क** उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणामस्वरूप **ख** उस संविदा को विखंडित कर देता है। **ख** उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरा न किया जाने से उठाया है।

अध्याय 7—धाराएं 76—123. [माल का विक्रय]—माल विक्रय अधिनियम, 1930)1930 का 3) की धारा 65 द्वारा निरसित।

अध्याय 8

क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में

124. “क्षतिपूर्ति की संविदा” की परिभाषा—वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है “क्षतिपूर्ति की संविदा” कहलाती है।

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “भारत शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1899 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।

दृष्टांत

क ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए, जो ग 200 रुपए की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है।

125. क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जब कि उस पर वाद लाया जाए—क्षतिपूर्ति को संविदा का वचनगृहीता, अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ, वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है—

(1) वह सब नुकसानी, जिसके संदाय के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसी बात के बारे में हो, जिसे क्षतिपूर्ति करने का वह वचन लागू हो ;

(2) वे सब खर्चे, जिनको देने के लिए, वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए, यदि वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रजायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो ;

(3) वे सब धनराशियां, जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते के निबंधनों के अधीन दी हो, यदि वह समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल न रहा हो और ऐसा रहा हो जैसा समझौता क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में वचनगृहीता के लिए करना प्रजायुक्त होता अथवा यदि वचनदाता ने उस वाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो।

126. “प्रत्याभूति की संविदा”, “प्रतिभू”, “मूलऋणी” और “लेनदार”—“प्रत्याभूति की संविदा” किसी पर-व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है “मूलऋणी” कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है “लेनदार” कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी।

127. प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल—मूलऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा।

दृष्टांत

(क) क से ख माल उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। क वैसा करने को इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि ग माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति दे। क के इस वचन के प्रतिफलस्वरूप कि वह माल परिदान करेगा ग संदाय की प्रत्याभूति देता है। यह ग के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।

(ख) ख को क माल बेचता है और परिदत्त करता है। ग तत्पश्चात् क से प्रार्थना करता है कि वह एक वर्ष तक ऋण के लिए ख पर वाद लाने से प्रविरत रहे और वचन देता है कि यदि वह ऐसा करेगा तो ख द्वारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर ग उस माल के लिए संदाय करेगा। क यथाप्रार्थित प्रविरत रहने के लिए रजामंद हो जाता है। यह ग के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।

(ग) ख को क माल बेचता और परिदत्त करता है। ग तत्पश्चात् प्रतिफल के बिना करार करता है कि ख द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। करार शून्य है।

128. प्रतिभू का दायित्व—प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो।

दृष्टांत

ख को क एक विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता ग द्वारा संदाय की प्रत्याभूति देता है। विनिमय-पत्र ग द्वारा अनादृत किया जाता है। क न केवल उस विनिमय-पत्र की रकम के लिए, बल्कि उन व्याज और प्रभाओं के लिए भी, जो उस पर शोध्य हो गए हों, दायी है।

129. “चलत प्रत्याभूति”—वह प्रतिभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो “चलत प्रत्याभूति” कहलाती है।

दृष्टांत

(क) क इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि ख अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए ग को नौकर रखेगा ग द्वारा उन भाटकों के सम्यक् संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपए की रकम तक उत्तरदायी होने का ख को वचन देता है। यह चलत प्रत्याभूति है।

(ख) क एक चाय के व्यापारी ख को, उस चाय के लिए, जिसका वह ग को समय-समय पर प्रदाय करे, 100 पौंड तक की रकम का संदाय करने की प्रत्याभूति देता है। ग को ख उपर्युक्त 100 पौंड से अधिक मूल्य की चाय का प्रदाय करता है और ग उसके लिए ख को संदाय कर देता है। तत्पश्चात् ग को ख 200 पौंड मूल्य की चाय का प्रदाय करता है। ग संदाय करने में असफल रहता है। क द्वारा दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति थी, और तदनुसार वह ख के प्रति 100 पौंड तक का दायी है।

(ग) ख द्वारा ग को परिदत्त किए जाने वाले आटे के पांच बोरो की कीमत के, जो एक मास में दी जानी है, संदाय के लिए ख को क प्रत्याभूति देता है। ग को ख पांच बोरे परिदत्त करता है। ग उनके लिए संदाय कर देता है। ख तत्पश्चात् ग को चार बोरे देता है जिसका संदाय ग नहीं करता है। क द्वारा दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं थी और इसलिए वह उन चार बोरो की कीमत के लिए दायी नहीं है।

130. चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण—चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना द्वारा किसी भी समय प्रतिभू कर सकेगा।

दृष्टांत

(क) ऐसे विनिमय-पत्रों को, जो ग के पक्ष में हों, क की प्रार्थना पर ख द्वारा मितिकाटे पर भुगतान के प्रतिफलस्वरूप ख को क ऐसे सब विनिमय-पत्रों पर 5,000 रुपए तक सम्यक् संदाय की प्रत्याभूति बार मास के लिए देता है। 2,000 रुपए तक के ऐसे विनिमय-पत्रों को जो, ग के पक्ष में हैं, ख मितिकाटे पर भुगतान करता है, तत्पश्चात् तीन मास का अंत होने पर क उस प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण कर लेता है। यह प्रतिसंहरण क को ख के प्रति किसी भी पश्चात्पूर्वी मितिकाटे पर भुगतान के लिए समस्त दायित्व से उन्मोचित कर देता है। किन्तु ग द्वारा व्यतिक्रम होने पर, क उन 2000 रुपयों के लिए ख के प्रति दायी है।

(ख) ख को क 1,000 रुपए तक की यह प्रत्याभूति देता है कि ग उन सब विनिमय-पत्रों का, जो ख उसके नाम लिखेगा, संदाय करेगा। ग के नाम ख विनिमय-पत्र लिखता है। ग उस विनिमय-पत्र को प्रतिगृहीत करता है। क प्रतिसंहरण की सूचना देता है। ग उस विनिमय-पत्र उसके परिपक्व होने पर अनादृत कर देता है। क अपनी प्रत्याभूति के अनुसार दायी है।

131. चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू का मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण—चलत प्रत्याभूति को, जहां तक कि उसका भावी संव्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसंहृत कर देती है।

132. प्रथमतः दायी दो व्यक्तियों के दायित्व पर उनके बीच के इस ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ता कि उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभू होगा—जब कि दो व्यक्ति किसी दायित्व को अपने ऊपर लेने की किसी तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ भी यह संविदा करते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर ही दूसरा दायी होगा, जिस संविदा का वह तृतीय व्यक्ति पक्षकार नहीं है, तब ऐसे दोनों व्यक्तियों में से हर एक के उस तृतीय व्यक्ति के प्रति प्रथम संविदा के अधीन दायित्व पर उस दूसरी संविदा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि उस तृतीय व्यक्ति को उसके अस्तित्व की जानकारी रही हो।

दृष्टांत

क और ख संयुक्त और पृथक् दायित्व वाला एक वचनपत्र ग के पक्ष में लिख देते हैं। क उसे वास्तव में ख के प्रतिभू रूप में लिखता है और जिस समय वह वचनपत्र लिखा जाता है ग यह बात जानता है। यह तथ्य कि क ने यह वचनपत्र ख के प्रतिभू के रूप में ग की जानकारी में लिखा था वचनपत्र के आधार पर क के विरुद्ध ग द्वारा किए गए वाद का कोई उत्तर नहीं है।

133. संविदा के निबंधनों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन—जो भी फेरफार मूल [ऋणी] और लेनदार के बीच की संविदा के निबंधनों में प्रतिभू की सम्मति के बिना किया जाए वह उस फेरफार के पश्चात्पूर्वी संव्यवहारों के बारे में प्रतिभूति का उन्मोचन कर देता है।

दृष्टांत

(क) ग के बैंक में प्रबंधक के तौर पर ख के आचरण के लिए ग के प्रति क प्रतिभू होता है। तत्पश्चात् क की सम्मति के बिना ख और ग संविदा करते हैं कि ख का संबलम् बढ़ा दिया जाएगा और ओवर-ड्राफ्टों से हुई हानि की एक चौथाई का ख दायी है। ख एक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट करने देता है और बैंक को कुछ धन की हानि होती है। क उसकी सम्मति के बिना किए गए फेरफार के कारण, अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है, और इस हानि को पूरा करने का दायी नहीं है।

(ख) क एक ऐसे पद पर ख के रहते हुए उसके अवचार के विरुद्ध ग को प्रत्याभूति देता है जिस पद पर ग द्वारा ख नियुक्त किया जाता है और जिसके कर्तव्य विधान-मंडल के एक अधिनियम द्वारा परिभाषित हैं। एक पश्चात्पूर्वी अधिनियम द्वारा उस पद की प्रकृति तात्त्विक रूप से बदल दी जाती है। तत्पश्चात् ख अवचार करता है। इस तब्दीली के कारण क अपनी प्रत्याभूति के अधीन भावी दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, यद्यपि ख का वह अवचार ऐसे कर्तव्य के संबंध में है जिस पर पश्चात्पूर्वी अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) ग अपना माल बेचने के लिए वार्षिक संबलम् पर ख को अपना लिपिक नियुक्त करने का करार इस बात पर करता है कि ऐसे लिपिक के नाते ख द्वारा प्राप्त धन का उसके द्वारा सम्यक् हिसाब किए जाने के लिए ग के प्रति क प्रतिभू हो जाए। तत्पश्चात् क के ज्ञान या सम्मति के बिना ग और ख करार करते हैं कि ख को पारिश्रमिक उसके द्वारा बेचे गए माल पर कमीशन के रूप में न कि नियत संबलम् के रूप में, दिया जाएगा। ख के पश्चात्पूर्वी अवचार के लिए क दायी नहीं है।

(घ) ग द्वारा ख को उधार प्रदाय किए जाने वाले तेल के लिए क 3,000 रुपए तक की चलत प्रत्याभूति ग को देता है। तत्पश्चात् ख संकट में पड़ जाता है और क के ज्ञान के बिना ख और ग संविदा करते हैं कि ख को ग नकद धन पर तेल प्रदाय करता

¹ 1917 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

रहेगा और वे संदाय जो किए जाएं, **ख** और **ग** के उस समय वर्तमान ऋणों के लिए उपयोजित किए जाएंगे। **क** इस नए ठहराव के पश्चात् दिए गए किसी भी माल के लिए अपनी प्रत्याभूति के अधीन संदाय का दायी नहीं है।

(ड) **ख** को पहली मार्च को 5,000 रुपए उधार देने की संविदा **ग** करता है। **क** उस ऋण से प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति करता है। **ग** 5,000 रुपए **ख** को पहली जनवरी को दे देता है। **क** अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, क्योंकि संविदा में यह फेरफार हो गया है कि **ग** रुपयों के लिए **ख** पर पहली मार्च से पूर्व वाद ला सकता है।

134. मूलऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन—लेनदार और मूलऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से, जिसके द्वारा मूलऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य या लोप से, जिसका विधिक परिणाम मूलऋणी का उन्मोचन हो, प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है।

दृष्टांत

(क) **ग** द्वारा **ख** को प्रदाय किए जाने वाले माल के लिए **ग** को **क** प्रत्याभूति देता है। **ख** को **ग** माल प्रदाय करता है और तत्पश्चात् **ख** संकट में पड़ जाता है और अपने लेनदारों से (जिनके अंतर्गत **ग** भी है) उनकी मांगों से अपने को निर्मुक्त किए जाने के प्रतिफलस्वरूप, उनको अपनी सम्पत्ति समनुदेशित करने की संविदा करता है। यहां **ग** के साथ की गई इस संविदा द्वारा **ख** अपने ऋण से निर्मुक्त हो जाता है और **क** अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है।

(ख) **क** अपनी भूमि पर नील की फसल उगाने और उसे नियत दर पर **ख** को परिदत्त करने की संविदा **ख** से करता है और **ग** इस संविदा के **क** द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। **ख** एक जलधारा को, जो **क** की भूमि की सिंचाई के लिए आवश्यक है, मोड़ देता है और तद्द्वारा उसे नील उगाने से निवारित कर देता है। **ग** अब अपनी प्रत्याभूति पर दायी नहीं रहा।

(ग) **ख** के लिए एक गृह अनुबद्ध समय के भीतर और नियत कीमत पर बनाने की संविदा **ख** से **क** करता है, जिसके लिए आवश्यक काष्ठ **ख** द्वारा दिया जाएगा। **ग** इस संविदा के **क** द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। **ख** काष्ठ देने का लोप करता है। **ग** अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है।

135. प्रतिभू का उन्मोचन जब कि लेनदार मूलऋणी के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है—लेनदार और मूलऋणी के बीच ऐसी संविदा जिससे लेनदार मूलऋणी के साथ समझौता कर लेता है या उसे समय देने या उस पर वाद न लाने का वचन देता है, प्रतिभू को तब के सिवाय उन्मोचित कर देती है जब कि प्रतिभू ऐसी संविदा के लिए अनुमति दे देता है।

136. जब कि मूलऋणी को समय देने का करार पर-व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता—जहां कि मूलऋणी को समय देने की संविदा लेनदार किसी पर-व्यक्ति से, न कि मूलऋणी से की जाती है वहां प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता।

दृष्टांत

ग एक ऐसे अतिशोध्य विनिमय-पत्र का धारक है, जिसे **क** ने **ख** के प्रतिभू के रूप में लिखा और **ख** ने प्रतिगृहीत किया है। **ख** को समय देने की संविदा **ड** से **ग** करता है। **क** उन्मोचित नहीं होता।

137. लेनदार का वाद लाने से प्रवर्तित रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता—मूलऋणी पर वाद लाने से या उसके विरुद्ध किसी अन्य उपचार को प्रवर्तित करने से लेनदार का प्रवर्तित रहना मात्र, प्रत्याभूति में तत्प्रतिकूल उपबन्ध के अभाव में, प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता।

दृष्टांत

ख एक ऋण का, जिसकी प्रत्याभूति **क** ने दी है, **ग** को देनदार है। ऋण देय हो जाता है। ऋण के देय हो जाने के पश्चात् एक वर्ष तक **ख** पर **ग** वाद नहीं लाता। **क** अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित नहीं होता।

138. एक सह-प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यो को उन्मोचित नहीं करती—जहां कि सह-प्रतिभू हो वहां लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्यो को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभूओं¹ के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है।

139. लेनदार के ऐसे कार्य या लोप से, जिसे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का ह्रास होता है, प्रतिभू का उन्मोचन—यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप करे जिसके किए जाने की प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता हो और मूलऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अपने पारिणामिक उपचार का तद्द्वारा ह्रास हो तो प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा।

¹ धारा 44 भी देखिए।

दृष्टांत

(क) ग के लिए ख निश्चित धनराशि के बदले एक पोत निर्माण करने की संविदा करता है, जो धनराशि, काम के जैसे-जैसे अमुक प्रक्रमों तक पहुंचे, वैसे-वैसे किस्तों में दी जानी है। ख द्वारा संविदा के सम्यक् पालन के लिए ग के प्रति क प्रतिभू हो जाता है। क के ज्ञान के बिना ख को अन्तिम दो किस्तों का पूर्व संदाय ग कर देता है। इस पूर्व संदाय के कारण क उन्मोचित हो जाता है।

(ख) ख के फर्नीचर के ऐसे विक्रयाधिकार-पत्र के साथ, जो ग को यह शक्ति देता है कि वह फर्नीचर बेच दे और उसके आगमों को वचनपत्र के उन्मोचन में उपयोजित कर ले। ग के पक्ष में ख द्वारा और ख के प्रतिभू के रूप में क द्वारा लिखे गए संयुक्त एवं पृथक् वचनपत्र की प्रतिभूति पर ख को ग धन उधार देता है। तत्पश्चात् ग उस फर्नीचर को बेच देता है, किन्तु उस उपचार और उसके द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के कारण केवल थोड़ी कीमत प्राप्त होती है। क उस वचनपत्र के दायित्व से उन्मोचित हो जाता है।

(ग) ड को ख के पास शिक्षु के रूप में क रखता है और ख को ड की विश्वस्तता की प्रत्याभूति देता है। ख अपनी ओर से वचन देता है कि वह प्रति मास कम से कम एक बार देख लेगा कि ड ने रोकड़ का मिलान कर लिया है। ख ऐसा करने का लोप करता है और ड गबन कर लेता है। ख के प्रति क अपनी प्रत्याभूति पर दायी नहीं है।

140. संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार—जहां कि कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया हो, या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूलऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो वहां वे सब अधिकार, जो लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हों, प्रतिभू द्वारा उस सब के, जिसके लिए वह दायी हो, संदाय या पालन पर प्रतिभू में विनिहित हो जाते हैं।

141. लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार—प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय, जब प्रतिभूत्व की संविदा की जाए, लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा।

दृष्टांत

(क) क की प्रत्याभूति पर ग अपने अभिधारी ख को 2,000 रुपए उधार देता है। ग के पास उन 2,000 रुपयों के लिए ख के फर्नीचर के बन्धक के रूप में एक और प्रतिभूति है। ग उस बन्धक को रद्द कर देता है। ख दिवालिया हो जाता है और ख की प्रत्याभूति के आधार पर क के विरुद्ध ग वाद लाता है। क उस फर्नीचर के मूल्य की रकम तक दायित्व से उन्मोचित हो गया है।

(ख) एक लेनदार ग को, जिसका ख को दिया हुआ उधार डिक्री द्वारा प्रतिभूत है, उस उधार के लिए क से भी प्रत्याभूति मिलती है। तत्पश्चात् ग उस डिक्री के निष्पादन में ख के माल को कुर्क करा लेता है, और तब क को जानकारी के बिना उस निष्पादन का प्रत्याहरण कर लेता है। क उन्मोचित हो जाता है।

(ग) ग से ख के लिए उधार प्राप्त करने को ख के साथ संयुक्ततः क एक बन्धपत्र ख के प्रतिभू के तौर पर ग को लिख देता है। तत्पश्चात् ग उसी ऋण के लिए ख से एक अतिरिक्त प्रतिभूति अभिप्राप्त करता है। तत्पश्चात् ग उस अतिरिक्त प्रतिभूति को छोड़ देता है। क उन्मोचित नहीं होता है।

142. दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी—कोई भी प्रत्याभूति, जो लेनदार द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति से संव्यवहार के तात्त्विक भाग के बारे में दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है, अविधिमान्य है।

143. छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी—कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने तात्त्विक परिस्थिति के बारे में मौन धारण से अभिप्राप्त की है, अविधिमान्य है।

दृष्टांत

(क) क अपने लिए रुपए का संग्रहण करने के लिए ख को लिपिक के तौर पर रखता है। ख अपनी कुल प्राप्तियों का सम्यक् लेखा देने में असफल रहता है और परिणामस्वरूप क उससे यह अपेक्षा करता है कि वह अपने द्वारा सम्यक् रूप से लेखा दिए जाने के लिए प्रतिभूति दे। ख द्वारा सम्यक् रूप से लेखा दिए जाने की प्रत्याभूति ग दे देता है। ग को ख के पिछले आचरण से क अवगत नहीं करता है। तत्पश्चात् ख लेखा देने में व्यतिक्रम करता है। प्रत्याभूति अविधिमान्य है।

(ख) ग द्वारा ख को 2,000 टन परिणाम तक प्रदाय किए जाने वाले लोहे के लिए संदाय की प्रत्याभूति ग को क देता है। ख और ग ने प्राइवेट तौर पर करार कर लिया है कि ख बाजार-दाम से पांच रुपया प्रति टन अधिक देगा जो अधिक रकम एक पुराने ऋण के समापन में उपयोजित की जाएगी। यह करार कैसे छिपाया गया है। क प्रतिभू के तौर पर दायी नहीं है।

144. इस संविदा पर प्रत्याभूति देना कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक सह-प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता—जहां कि कोई व्यक्ति इस संविदा पर प्रत्याभूति देता है कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति सह-प्रतिभू के रूप में उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता, वहां यदि वह अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता तो वह प्रत्याभूति विधिमान्य नहीं है।

145. प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन—प्रत्याभूति की हर संविदा में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने का मूलऋणी का विवक्षित वचन रहता है, और प्रतिभू किसी भी धनराशि को जो उसने प्रत्याभूति के अधीन अधिकारपूर्वक दी हो, मूलऋणी से वसूल करने का हकदार है, किन्तु उन धनराशियों को नहीं जो उसने अनधिकारपूर्वक दी हों।

दृष्टांत

(क) ग का ख ऋणी है और क उस ऋण के लिए प्रतिभू है। ग संदाय की मांग क से करता है और उसके इन्कार करने पर उस रकम के लिए उस पर वाद लाता है। प्रतिरक्षा के लिए युक्तियुक्त आधार होने से क वाद में प्रतिरक्षा करता है, किन्तु वह ऋण की रकम को खर्च समेत संदत्त करने के लिए विवश किया जाता है। वह मूल ऋण तथा अपने द्वारा दी गई खर्च की रकम को भी ख से वसूल कर सकता है।

(ख) ख को ग कुछ धन उधार देता है, और ख की प्रार्थना पर क, उस रकम को प्रतिभू करने के लिए ख द्वारा क के ऊपर लिखे गए विनिमय-पत्र को प्रतिगृहीत करता है। विनिमय-पत्र का धारक ग उसके संदाय की मांग क से करता है और क के इन्कार करने पर उसके विरुद्ध उस विनिमय-पत्र पर वाद लाता है। क प्रतिरक्षा करने के लिए युक्तियुक्त आधार न रखते हुए वाद में प्रतिरक्षा करता है, और उसे उस विनिमय-पत्र की रकम और खर्चा देना पड़ता है। वह विनिमय-पत्र की रकम ख से वसूल कर सकता है किन्तु खर्च के लिए दी गई राशि वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि उस अनुयोग में प्रतिरक्षा करने के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं था।

(ग) ग द्वारा ख को प्रदाय किए जाने वाले चावल के लिए, क 2,000 रुपए तक का संदाय प्रत्याभूत करता है। ख को ग 2,000 रुपए से कम की रकम का चावल प्रदाय करता है, किन्तु प्रदाय किए गए चावल के लिए क से 2,000 रुपए की राशि का संदाय अभिप्राप्त कर लेता है। क वास्तव में प्रदाय किए गए चावल की कीमत से अधिक ख से वसूल नहीं कर सकता।

146. सह-प्रतिभू समानतः अभिदाय करने के दायी होते हैं—जहां कि दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण या कर्तव्य के लिए, या तो संयुक्ततः या पृथक्तः और चाहे एक ही या चाहे विभिन्न संविदाओं के अधीन, और चाहे एक दूसरे के ज्ञान में चाहे ज्ञान के बिना, सह-प्रतिभू हों, वहीं उन सह-प्रतिभूओं में से हर एक, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहां तक, जहां तक उनके बीच का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण ऋण का या उसके उस भाग का, जो मूल ऋणी¹ द्वारा असंदत्त रह गया हो, समान अंश समानतः देने के दायी हैं।

दृष्टांत

(क) ड को उधार दिए गए 3,000 रुपए के लिए घ के क, ख और ग प्रतिभू हैं। ड संदाय में व्यतिक्रम करता है। क, ख और ग, जहां तक उनके बीच का सम्बन्ध है, हर एक 1,000 रुपए संदाय करने का दायी हैं।

(ख) ड को उधार दिए गए 1,000 रुपए के लिए घ के क, ख और ग प्रतिभू हैं, और क, ख और ग के बीच यह संविदा है कि क एक चौथाई तक के लिए, ख एक चौथाई तक के लिए और ग आधे तक के लिए उत्तरदायी हैं। ड संदाय में व्यतिक्रम करता है। जहां तक कि प्रतिभूओं के बीच का सम्बन्ध है, क 250 रुपए, ख 250 रुपए और ग 500 रुपए संदाय करने का दायी हैं।

147. विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सह-प्रतिभूओं का दायित्व—सह-प्रतिभू, जो विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध है, अपनी-अपनी बाध्यताओं की परिसीमाओं तक समानतः संदाय करने के दायी हैं।

दृष्टांत

(क) घ के प्रतिभूओं के रूप में क, ख और ग इस शर्त पर आश्रित कि ड को घ सम्यक् रूप से लेखा देगा, पृथक्-पृथक् तीन बन्धपत्र लिख देते हैं, जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है अर्थात् क का 10,000 रुपए की, ख का 20,000 रुपए की, ग का 40,000 रुपए की शास्ति वाला है। ग 30,000 रुपए का लेखा नहीं देता। क, ख और ग हर एक 10,000 रुपए संदाय करने के दायी हैं।

(ख) घ के प्रतिभूओं की हैसियत में क, ख और ग, इस शर्त पर आश्रित कि ड को घ सम्यक् रूप से लेखा देगा, पृथक्-पृथक् तीन बन्धपत्र लिख देते हैं जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात् क का 10,000 रुपए की, ख का 20,000 रुपए की, ग का 40,000 रुपए की शास्ति वाला है। घ 40,000 रुपए का लेखा नहीं देता। क 10,000 रुपए का और ख और ग हर एक 15,000 रुपए का संदाय करने के दायी हैं।

(ग) घ के प्रतिभूओं के रूप में, क, ख और ग इस शर्त पर आश्रित कि ड को घ सम्यक् रूप से लेखा देगा, पृथक्-पृथक् तीन बन्धपत्र लिख देते हैं जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात् क का 10,000 रुपए की, ख का 20,000 रुपए की, और घ का 40,000 रुपए की शास्ति वाला है। घ 70,000 रुपए का लेखा नहीं देता। क, ख और ग हर एक को अपने बन्धपत्र की पूरी शास्ति देनी होगी।

अध्याय 9

उपनिधान के विषय में

148. “उपनिधान”, “उपनिधाता” और “उपनिहिती” की परिभाषा—“उपनिधान” एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा; या उसे

¹ धारा 43 भी देखिए।

परिदान करने वाले व्यक्ति के निदेशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा। माल का परिदान करने वाला व्यक्ति “उपनिधाता” कहलाता है। वह व्यक्ति, जिसको वह परिदत्त किया जाता है “उपनिहिती” कहलाता है।

स्पष्टीकरण—यदि वह व्यक्ति, जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण उपनिहिती के रूप में करने की संविदा करता है तो वह तद्द्वारा उपनिहिती हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर परिदत्त न किया गया हो।

149. उपनिहिती को परिदान किस प्रकार किया जाए—उपनिहिती को परिदान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आशयित उपनिहिती के या उसकी ओर से उसे धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो।

150. उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य—उपनिधाता, उपनिहित माल की उन त्रुटियों को उपनिहिती से प्रकट करने के लिए आबद्ध है जिनकी जानकारी उपनिधाता को हो और जो उसके उपयोग में तत्त्वतः विघ्न डालती हो या उपनिहिती को साधारण जोखिम में डालती हो और यदि वह ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है तो वह उपनिहिती को ऐसी त्रुटियों से प्रत्यक्षतः उद्भूत नुकसान के लिए उत्तरदायी है।

यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया है तो उपनिधाता ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है चाहे उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व से वह परिचित था या नहीं।

दृष्टांत

(क) क एक घोड़ा ख को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता है। वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, ख को गिरा देता है और ख क्षत हो जाता है। हुए नुकसान के लिए ख के प्रति क उत्तरदायी है।

(ख) ख की एक गाड़ी क भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है और क क्षत हो जाता है। क्षति के लिए क के प्रति ख उत्तरदायी है।

151. उपनिहिती द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता—उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिती आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित² माल है।

152. उपनिहित चीज की हानि, आदि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है—उपनिहिती विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देख-रेख की हो।

153. उपनिहिती के ऐसे कार्य द्वारा, जो शर्तों से असंगत हो, उपनिधान का पर्यवसान—उपनिधान की संविदा उपनिधाता के विकल्प पर शून्यकरणीय है यदि उपनिहिती उपनिहित माल के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करे जो उपनिधान की शर्तों से असंगत हो।

दृष्टांत

ख को एक घोड़ा उसकी अपनी सवारी के लिए क भाड़े पर देता है। ख उस घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है। यह क के विकल्प पर उपनिधान का पर्यवसान है।

154. उपनिहित माल का अप्राधिकृत उपयोग करने वाले उपनिहिती का दायित्व—यदि उपनिहिती उपनिहित माल का ऐसा कोई उपयोग करे जो उपनिधान की शर्तों के अनुसार न हो तो वह उसके ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान में माल को हुए नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायी है।

दृष्टांत

(क) ख को एक घोड़ा केवल उसकी अपनी सवारी के लिए क उधार देता है। ख अपने कुटुम्ब के एक सदस्य ग को उस घोड़े पर सवारी करने देता है। ग सावधानी से सवारी करता है। किन्तु अकस्मात् घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। ख घोड़े को हुई क्षति के लिए क को प्रतिकर देने का दायी है।

(ख) क कलकत्ते में ख में एक घोड़ा यह कह कर भाड़े पर लेता है कि वह वाराणसी जाएगा। क सम्यक् सावधानी से सवारी करता है, किन्तु वाराणसी न जाकर कटक जाता है। अकस्मात् घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। क घोड़े को हुई क्षति के लिए ख को प्रतिकर देने का दायी है।

155. उपनिहिती के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति से उसके माल के मिश्रण का प्रभाव—यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने-अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे।

¹ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट, 1905)1905 का मद्रास अधिनियम सं० 2) के अधीन मद्रास पत्तन के न्यासियों का उत्तरदायित्व, इन धाराओं के अधीन, ऐसे माल के बारे में उन्हें धारा 152 में प्रयुक्त “किसी विशेष संविदा के प्रभाव में” शब्दों के बिना, उपनिहिती घोषित किया गया है; देखिए उस अधिनियम की धारा 40(1)।

² रेल संविदाओं के बारे में, भारतीय रेल अधिनियम, 1890)1890 का 9) की धारा 72 देखिए। सामान्य वाहकों के दायित्वों के बारे में, वाहक अधिनियम, 1865)1865 का 3) की धारा 8 देखिए।

156. जबकि माल पृथक् किए जा सकते हैं तब उपनिधाता की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव—यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित करे दे और माल पृथक् या विभाजित किए जा सकते हैं तो माल में सम्पत्ति पक्षकारों की अपनी-अपनी रहती है किंतु उपनिहिती या पृथक्करण विभाजन के व्यय को और मिश्रण से हुए किसी भी नुकसान को सहन करने के लिए आवद्ध है।

दृष्टांत

क एक विशिष्ट चिह्न से चिह्नित रुई की 100 गांठें ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख उन 100 गांठों को एक अलग चिह्न धारण करने वाली अपनी अन्य गांठों में मिश्रित करता है। क को हक है कि वह अपनी 100 गांठों को वापस करा ले, और गांठों के पृथक् करने में हुआ सारा व्यय और अन्य आनुषंगिक नुकसान सहन करने के लिए ख आवद्ध है।

157. जबकि माल पृथक् न किए जा सकते हैं तब उपनिहिती को सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव—यदि उपनिहिती, उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि निहित माल को अन्य माल से पृथक् करना और उसे वापस परिदत्त करना संभव हो तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिकार पाने का हकदार है।

दृष्टांत

क 45 रुपए कीमत के केप के आटे का बैरल ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख उस आटे को केवल 25 रुपए प्रति बैरल के अपने देशी आटे के साथ मिश्रित करता है। क को उसके आटे की हानि के लिए ख प्रतिकार देगा।

158. आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंदाय—जहां कि उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिती द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवहण किया जाना हो अथवा उस पर काम करवाया जाना हो और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो वहां उपनिधाता उपनिहिती को उपनिहिती द्वारा उपनिधान के प्रयोजन के लिए उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसंदाय करेगा।

159. आनुग्रहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन—किसी चीज को उपयोगार्थ उधार पर देने वाला, यदि वह उधार आनुग्रहिक रूप से दिया गया हो किसी भी समय उसकी वापसी अपेक्षित कर सकेगा यद्यपि उसने उसे एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार दिया हो। किन्तु यदि उधार लेने वाले ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की ठहराए गए समय से पूर्व वापसी से उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो तो, यदि उधार दाता उधार लेने वाले को उसे वापस करने के लिए विवश करे तो उसको उधार लेने वाले की उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी होगी जितनी वैसे हुई हानि वैसे व्युत्पन्न फायदे से अधिक है।

160. समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी—उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिए माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाए या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था, पूरा हो जाए, उपनिहित माल को मांग के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे।

161. जबकि माल सम्यक् रूप से वापस न किया जाए तब उपनिहिती का उत्तरदायित्व—यदि उपनिहिती के दोष से माल उचित समय पर वापस या परिदत्त या निविदत्त न किया जाए तो उस समय से माल की किसी भी हानि, नाश या क्षय के लिए वह उपनिधाता के प्रति उत्तरदायी है।²

162. आनुग्रहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान—आनुग्रहिक उपनिधान उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु से पर्यवसित हो जाता है।

163. उपनिधाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का हकदार—तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उपनिहिती वह वृद्धि या लाभ, जो उपनिहित माल से प्रोद्भूत हुआ हो, उपनिधाता को, या उसके निदेशों के अनुसार, परिदत्त करने के लिए आवद्ध है।

दृष्टांत

क एक गौ को देखभाल के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है। गौ के बछड़ा पैदा होता है। ख वह गौ और बछड़ा क को परिदत्त करने के लिए आवद्ध है।

164. उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व—उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निदेश देने का हकदार नहीं था।

¹ मद्रास पत्तन के न्यासियों के उनके कब्जे में के माल के बारे में उत्तरदायित्व के संबंध में धारा 161 लागू होना घोषित की गई है, देखिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट, 1905 (1905 का मद्रास अधिनियम सं० 2)।

² रेल संविदाओं के बारे में देखिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 72।

165. कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान—यदि माल के कई संयुक्त स्वामी उसे उपनिहित करें तो, किसी तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, उपनिहिती सभी स्वामियों की सम्मति के बिना भी एक संयुक्त स्वामी को या उसके निदेशों के अनुसार माल वापस परिदत्त कर सकेगा।

166. बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिदान करने पर उपनिहिती उत्तरदायी न होगा—यदि उपनिधाता का माल पर कोई हक न हो और उपनिहिती उसके उपनिधाता को या उसके निदेशों के अनुसार सद्भावपूर्वक प्रतिपरिदान कर दे तो उपनिहिती ऐसे परिदान¹ के बारे में उसके स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

167. उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर-व्यक्ति का अधिकार—यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिदान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है।

168. माल पड़ा पाने वाले का अधिकार। वह प्रस्थापित विनिर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा—माल पड़ा पाने वाले को माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छया उठाए गए कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु वह उस माल को स्वामी के विरुद्ध तब तक प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे ऐसा प्रतिकर न मिल जाए, और यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट पुरस्कार देने की प्रस्थापना की हो, तो पड़ा पाने वाला ऐसे पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा और माल को तब तक प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे वह पुरस्कार न मिल जाए।

169. सामान्यतया विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा—जबकि कोई चीज, जो सामान्यतया विक्रय का विषय हो, खो जाए तब यदि स्वामी का युक्तियुक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके या यदि वह पड़ा पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों का मांगे जाने पर संदाय करने से इंकार करे तो पड़ा पाने वाला उसको बेच सकेगा :—

1) जबकि उस चीज के नष्ट हो जाने या उसके मूल्य का अधिकांश जाते रहने का खतरा हो, अथवा

2) जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़े पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के दो तिहाई तक पहुंच जाए।

170. उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार—जहां कि उपनिहिती ने, उपनिहित माल के बारे में उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार कोई ऐसी सेवा की हो, जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग अंतर्वलित हो, वहां तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, उसे ऐसे माल के तब तक प्रतिधारण का अधिकार है जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके बारे में की हों, सम्यक् पारिश्रमिक नहीं पा लेता।

दृष्टांत

(क) क एक जोहरी ख को अनगढ़ हीरा काटने और पालिश किए जाने के लिए परिदत्त करता है। तदनुसार वैसा कर दिया जाता है। ख उस हीरे के प्रतिधारण का तब तक हकदार है जब तक उसे उन सेवाओं के लिए जो उसने की हैं संदाय न कर दिया जाए।

(ख) क एक दर्जी ख को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है। ख यह वचन देता है कि कोट ज्यों ही पूरा हो जाएगा वह उसे क को परिदत्त कर देगा और पारिश्रमिक के लिए तीन मास का प्रत्यय देगा। कोट के लिए संदाय किए जाने तक ख उसे प्रतिधृत रखने का हकदार नहीं है।

171. बैंकारों, फैक्टरों, घाटवालों, अटर्नियों और बीमा-दलालों का साधारण धारणाधिकार—बैंकार, फैक्टर, घाटवाल, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा-दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रख सकेंगे, किन्तु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रखें जब तक कि उस प्रभाव की कोई अभिव्यक्त संविदा न हो।²

गिरवीरूपी उपनिधान

172. “गिरवी”, “पणयमकार” और “पणयमदार” की परिभाषा—किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान “गिरवी” कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता “पणयमकार” कहलाता है। उपनिहिती “पणयमदार” कहलाता है।

173. पणयमदार का प्रतिधारण का अधिकार—पणयमदार गिरवी माल का प्रतिधारण न केवल ऋण के संदाय के लिए या वचन के पालन के लिए कर सकेगा वरन् ऋण के व्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी कर सकेगा।

174. जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है, पणयमदार उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा। पश्चात्तर्ती उधारों के बारे में उपधारणा—पणयमदार उस ऋण या वचन से भिन्न किसी ऋण या वचन के लिए, जिसके लिए माल गिरवी रखा गया है, उस माल का प्रतिधारण उस प्रभाव की संविदा के अभाव में न करेगा, किन्तु तत्प्रतिकूल किसी बात के अभाव में ऐसी संविदा की उपधारणा पणयमदार द्वारा दिए गए पश्चात्तर्ती उधारों के बारे में कर ली जाएगी।

¹ भारतीय साध्य अधिनियम, 1872)1872 □□ 1) की धारा 117 देखिए।

² अभिकर्ता के धारणाधिकार के बारे में धारा 221 भी देखिए; रेल प्रशासन के धारणाधिकार के बारे में देखिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890)1890 का 9) की धारा 55।

175. उपगत गैर-मामूली व्ययों के बारे में पणयमदार का अधिकार—पणयमदार गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर-मामूली व्ययों को पणयमदार से प्राप्त करने का हकदार है।

176. पणयमदार का अधिकार जहां कि पणयमकार व्यतिक्रम करता है—यदि पणयमकार उस ऋण के संदाय में या अनुबद्ध समय पर उस वचन का पालन करने में, जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था, व्यतिक्रम करता है तो पणयमकार उस ऋण या वचन पर पणयमकार के विरुद्ध वाद ला सकेगा और गिरवी माल का साम्प्रार्थिक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा, या गिरवी चीज को बेचने की युक्तियुक्त सूचना पणयमकार को देकर उस चीज को बेच सकेगा।

यदि ऐसे विक्रय के आगम उस रकम से कम हों, जो ऋण या वचन के बारे में शोध है, तो पणयमकार बाकी के संदाय के लिए तब भी दायी रहता है। यदि विक्रय के आगम उस रकम से अधिक हों जो ऐसे शोध हैं तो पणयमदार वह अधिशेष पणयमकार को देगा।

177. व्यतिक्रम करने वाले पणयमकार का मोचनाधिकार—यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए, जिसके लिए गिरवी की गई है, कोई समय अनुबद्ध हो, और पणयमकार ऋण का संदाय या वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चात्कर्तृ समय में इसके पूर्व कि गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय¹ हो, उसका मोचन करा सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का, जो उसके व्यतिक्रम से हुए हों, संदाय करना होगा।

²**178. वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी**—जहां कि कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वामी की सम्मति से माल पर या माल के हक की दस्तावेजों पर कब्जा रखता है वहां वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी उतनी ही विधिमान्य होगी मानो वह माल के स्वामी द्वारा, उसे करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत हो, परन्तु यह तब जबकि पणयमदार सद्भावपूर्वक कार्य करे और गिरवी के समय उसे वह सूचना न हो कि पणयमकार गिरवी करने का प्राधिकार नहीं रखता।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “वाणिज्यिक अभिकर्ता” और “हक की दस्तावेजों” पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3) में समनुदिष्ट हैं।

178क. शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी—जबकि पणयमकार ने अपने द्वारा गिरवीकृत माल का कब्जा धारा 19 या धारा 19क के अधीन शून्यकरणीय किसी संविदा के अधीन अभिप्राप्त किया हो, किन्तु संविदा गिरवी के समय विखण्डित न हो चुकी हो, तो पणयमदार उस माल पर अच्छा हक अर्जित कर लेता है, परन्तु यह तब जबकि वह सद्भावपूर्वक और पणयमकार के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य करे।]

179. गिरवी जहां कि पणयमकार केवल परिसीमित हित रखता है—जहां कि कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित रखता है, वहां गिरवी उस हित के विस्तार तक विधिमान्य है।

उपनिहितियों या उपनिधाताओं द्वारा दोषकर्ताओं के विरुद्ध वाद

180. उपनिधाता या उपनिहिती द्वारा दोषकर्ता के विरुद्ध वाद—यदि कोई पर-व्यक्ति उपनिहिती को उपनिहित माल के उपयोग या उस पर कब्जे से दोषपूर्वक वंचित करे या माल को कोई क्षति करे तो उपनिहिती ऐसे उपचारों का उपयोग करने का हकदार है जिनका वैसी दशा में स्वामी उपयोग कर सकता यदि उपनिधान नहीं किया गया होगा, और या तो उपनिधाता या उपनिहिती ऐसे वंचित किए जाने या ऐसी क्षति के लिए पर-व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकेगा।

181. ऐसे वादों से अभिप्राप्त अनुतोष या प्रतिकर का प्रभाजन—ऐसे किसी वाद में अनुतोष या प्रतिकर के तौर पर जो कुछ भी अभिप्राप्त किया जाए, वह, जहां पर कि उपनिधाता और उपनिहिती के बीच का सम्बन्ध है, उनके अपने-अपने हितों के अनुसार बरता जाएगा।

अध्याय 10

अभिकरण

अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार

182. “अभिकर्ता” और “मालिक” की परिभाषा—“अभिकर्ता” वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर-व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है “मालिक” कहलाता है।

183. अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा—वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यक्षीन है, प्राप्तव्य हो और स्वस्थ-चित्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा।

¹ परिसीमा के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की अनुसूची 1।

² 1930 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 178 के स्थान पर धारा 178 तथा धारा 178क प्रतिस्थापित।

184. अभिकर्ता कौन हो सकेगा—जहां तक कि मालिक और पर-व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जो प्राप्तवय और स्वस्थ-चित्त न हो, अभिकर्ता ऐसे न हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निमित्त एतस्मिन् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो।

185. प्रतिफल आवश्यक नहीं है—अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है।

186. अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा—अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा।¹

187. अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं—प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जब कि वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाए। प्राधिकार विवक्षित कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों में करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहार के मामूली अनुक्रम की मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी।

दृष्टान्त

क, जो स्वयं कलकत्ते में रहता है, सीरामपुर में एक दुकान का स्वामी है और उस दुकान पर वह कभी-कभी जाता है। दुकान का प्रबंध **ख** द्वारा किया जाता है और **क** की जानकारी में वह दुकान के प्रयोजनों के लिए **क** के मामले में **ग** से माल आदिष्ट करता रहता है और **क** के कोष में से उसके लिए संदाय करता रहता है। दुकान के प्रयोजनों के लिए **क** के नाम में **ग** से माल आदिष्ट करने का **क** की ओर से **ख** को विवक्षित प्राधिकार है।

188. अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार—किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक हो।

किसी कारबार को चलाने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या उसके अनुक्रम में प्रायः की जाती हो।

दृष्टान्त

(क) **ख**, जो लंदन में रहता है, अपने को शोधय ऋण मुम्बई में वसूल करने के लिए **क** को नियोजित करता है। **क** उस ऋण को वसूल करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकेगा और उसके लिए विधिमान्य उन्मोचन दे सकेगा।

(ख) **क** अपना पोत-निर्माता का कारबार चलाने के लिए **ख** को अपना अभिकर्ता बनाता है। **ख** उस कारबार को चलाने के प्रयोजन के लिए काष्ठ और अन्य सामग्री खरीद सकेगा और कर्मचारों को भाड़े पर रख सकेगा।

189. आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार—अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में करता।

दृष्टान्त

(क) विक्रय-अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा, यदि अवश्य हो।

(ख) **ख** को जो कलकत्ते में है, **क** इस निदेश के साथ रसद परेषित करता है कि वह उसे तुरन्त ही **ग** के पास कटक भेज दे। यदि वह रसद कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकती तो **ख** वह रसद कलकत्ते में बेच सकेगा।

उपाभिकर्ता

190. अभिकर्ता कब प्रत्यायोज नहीं कर सकता—कोई अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए, जिनका स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने का भार उसने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से लिया हो, किसी अन्य व्यक्ति का विधिपूर्वक नियोजन तब के सिवाय नहीं कर सकेगा जबकि उपाभिकर्ता का नियोजन व्यापार की मामूली रूढ़ि के अनुसार किया जा सकता हो या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार करना आवश्यक हो।

191. “उपाभिकर्ता” की परिभाषा—“उपाभिकर्ता” वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो।

192. उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व—जहां कि उपाभिकर्ता उचित तौर पर नियुक्त किया गया है वहां, जहां तक पर-व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह अभिकर्ता करता है, और मालिक उसके कार्यों से ऐसे ही आवद्ध और उनके लिए ऐसे ही उत्तरदायी है मानो वह मालिक द्वारा मूलतः नियुक्त अभिकर्ता हो।

उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व—अभिकर्ता उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी है।

उपाभिकर्ता का उत्तरदायित्व—उपाभिकर्ता अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है, किन्तु कपट या जानबूझकर किए गए दोष की दशा को छोड़कर मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

¹ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 33 देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की अनुसूची 1, आदेश 3, नियम 4 भी देखिए।

193. प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व—जहां कि किसी अभिकर्ता ने उपाभिकर्ता नियुक्त करने के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उपाभिकर्ता की हैसियत में कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो वहां अभिकर्ता की उस व्यक्ति के प्रति हैसियत वैसी है जैसी अभिकर्ता के प्रति मालिक की होती है और वह उसके कार्यों के लिए मालिक और पर-व्यक्तियों दोनों के प्रति उत्तरदायी है; ऐसे नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी है; और न वह मालिक के प्रति उत्तरदायी है।

194. अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारबार में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और मालिक के बीच का सम्बन्ध—जहां तक वह अभिकर्ता, जो अभिकरण के कारबार में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, किसी अन्य व्यक्ति को तदनुसार नामित कर देता है वहां ऐसा व्यक्ति उपाभिकर्ता नहीं है वरन्, वह अभिकरण के कारबार के ऐसे भाग के लिए, जो उसे सौंपा गया हो, मालिक का अभिकर्ता है।

दृष्टांत

(क) क अपने सालिसिटर ख को अपनी सम्पदा नीलाम द्वारा बेचने और उस प्रयोजन के लिए एक नीलामकर्ता नियोजित करने का निदेश देता है। ख विक्रय संचालन के लिए एक नीलामकर्ता ग को नामित करता है ग उपाभिकर्ता नहीं है वरन् विक्रय संचालन के लिए क का अभिकर्ता है।

(ख) क कलकत्ते के एक वणिज ख को ग एण्ड कम्पनी द्वारा अपने को शोध्य धन वसूल करने के लिए प्राधिकृत करता है सालिसिटर घ को ख उस धन की वसूली के लिए ग एण्ड कम्पनी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का आदेश लेता है। घ उपाभिकर्ता नहीं है वरन् क का सालिसिटर है।

195. ऐसे व्यक्ति को नामित करने में अभिकर्ता का कर्तव्य—अपने मालिक के लिए ऐसा अभिकर्ता चुनने में अभिकर्ता उतना ही विवेक प्रयुक्त करने के लिए आबद्ध है जितना मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने निजी मामले में करता और यदि वह ऐसा करता है तो वह ऐसे चुने गए अभिकर्ता के कार्यों या उपेक्षा के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

दृष्टांत

(क) क अपने लिए एक पोत खरीदने के लिए ख को, जो एक वणिज है, अनुदेश देता है। ख अच्छी ख्याति वाले एक पोत-सर्वेक्षक को क के लिए पोत पसन्द करने को नियोजित करता है। वह सर्वेक्षक पसन्द करने में उपेक्षा बरतता है और पोत-तरण अयोग्य निकलता है और नष्ट हो जाता है। क के प्रति ख नहीं वरन् वह सर्वेक्षक उत्तरदायी है।

(ख) ख को, जो एक वणिज है, क विक्रय के लिए माल परेषित करता है। ख सम्यक् अनुक्रम में अच्छे प्रत्यय वाले एक नीलामकर्ता को क का माल बेचने के लिए नियोजित करता है, और नीलामकर्ता को विक्रय के आगम प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करता है। नीलामकर्ता तत्पश्चात् उन आगमों का लेखा-जोखा दिए बिना दिवालिया हो जाता है। ख उन आगमों के लिए क के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

अनुसमर्थन

196. किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार। अनुसमर्थन का प्रभाव—जहां कि कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किन्तु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किए जाते हैं वहां वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनङ्गीकरण करे। यदि वह उनका अनुसमर्थन करे तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानो वे उसके प्राधिकार से किए गए थे।

197. अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा—अनुसमर्थन अभिव्यक्त या उस व्यक्ति के आचरण से, जिसकी ओर से वे कार्य किए जाते हैं, विवक्षित हो सकेगा।

दृष्टांत

(क) क प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है। तत्पश्चात् ख उन्हें ग को अपने लेखे बेच देता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने क द्वारा उसके लिए किए गए क्रय का अनुसमर्थन किया है।

(ख) क, ख के प्राधिकार के बिना ख का धन ग को उधार देता है। तत्पश्चात् ख उस धन पर से ब्याज प्रतिगृहीत करता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने उस उधार का अनुसमर्थन किया है।

198. विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है—कोई भी विधिमान्य अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामलों के तथ्यों का ज्ञान तत्त्वतः वृत्तियुक्त हो।

199. जो अप्राधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव—जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है, वह उस सम्पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो।

200. अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर-व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता—एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य, जो यदि प्राधिकार से किया जाता तो किसी पर-व्यक्ति को

नुकसानी के अध्यधीन करने या किसी पर-व्यक्ति के किसी अधिकार या हित का पर्यवसान करने का प्रभाव रखता, अनुसमर्थन के द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता।

दृष्टांत

(क) ख द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किए गए बिना ख की ओर से ग से क यह मांग करता है कि ख की कोई जंगम वस्तु, जो ग के कब्जे में है ग परिदत्त कर दे। वह मांग ख द्वारा ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि ग परिदान से अपने इन्कार के लिए नुकसानी का दायी हो जाए।

(ख) तीन मास की सूचना पर पर्यवसेय एक पट्टा ख से क धारण करता है। एक अप्राधिकृत व्यक्ति ग पट्टे के पर्यवसान की सूचना क को देता है। यह सूचना ख द्वारा ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि वह क पर आवद्ध हो जाए।

प्राधिकार का प्रतिसंहरण

201. अभिकरण का पर्यवसान—अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से, अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारबार के त्यजन से, अथवा अभिकरण के कारबार के पूरे हो जाने से, अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने या विकृतचित्त हो जाने से; अथवा मालिक किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, जो दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से हो जाता है।

202. जहां कि अभिकर्ता का विषयवस्तु में कोई हित हो वहां अभिकरण का पर्यवसान—जहां कि उस सम्पत्ति में, जो अभिकरण की विषयवस्तु हो, अभिकर्ता का कोई हित हो वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

दृष्टांत

(क) ख को क यह प्राधिकार देता है कि वह क की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगमों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे क द्वारा शोध्य है। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न क की उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है।

(ख) क रुई की 1,000 गांठें ख को, जिसने उसे ऐसी रुई पर अग्रिम धन दिया है, परेणित करता है और ख से वांछा करता है कि ख उस रुई को बेचे और उसकी कीमत में से अपने अग्रिम धन की रकम का प्रतिसंदाय कर ले। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और न उसकी उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान होता है।

203. मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कब कर सकेगा—पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़कर, मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उसके ऐसे उपयोग किए जाने से पूर्व कि मालिक आवद्ध हो जाए किसी भी समय कर सकेगा।

204. प्रतिसंहरण जहां कि प्राधिकार का भागतः प्रयोग कर लिया गया है—मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस प्राधिकार के भागतः प्रयोग के पश्चात् नहीं कर सकता जहां तक कि उस अभिकरण में पहले ही किए गए कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्याताओं का संबंध हो।

दृष्टांत

(क) ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1,000 गांठें खरीद ले और क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1,000 गांठें अपने नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी हो जाता है। जहां तक कि उस रुई के लिए संदाय करने का सम्बन्ध है ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण क नहीं कर सकता।

(ख) ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1,000 गांठें खरीद ले और क का जो धन ख को पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1,000 गांठें क के नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी नहीं होता। क उस रुई के संदाय के लिए ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है।

205. मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर—जहां कि यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा हो कि अभिकरण को किसी कालावधि के लिए चालू रहना है वहां पर्याप्त कारण के बिना अभिकरण के किसी पूर्वतन प्रतिसंहरण या त्यजन का प्रतिकर, यथास्थिति, अभिकर्ता को मालिक या मालिक को अभिकर्ता देगा।

206. प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना—ऐसे प्रतिसंहरण या त्यजन की युक्तियुक्त सूचना देनी होगी, अन्यथा, यथास्थिति, मालिक को या अभिकर्ता को तद्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक को दूसरा करेगा।

207. प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा—प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त हो सकेगा अथवा मालिक या अभिकर्ता के अपने-अपने आचरण द्वारा विवक्षित हो सकेगा।

दृष्टांत

क अपना गृह भाड़े पर देने के लिए ख को सशक्त करता है। तत्पश्चात् क स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। यह ख के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसंहरण है।

208. अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के सम्बन्ध में और कब पर-व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावी होता है—अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान, जहां तक अभिकर्ता से सम्बन्ध है, उसे उसका ज्ञान होने से पूर्व, अथवा जहां तक पर-व्यक्तियों से सम्बन्ध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व, प्रभावी नहीं होता।

दृष्टांत

(क) ख को क अपनी ओर से माल बेचने का निदेश देता है और माल की जो कीमत मिले उस पर ख को पांच प्रतिशत कमीशन देने का करार करता है। तत्पश्चात् क पत्र द्वारा ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है। ख उस पत्र के भेजे जाने के पश्चात् किन्तु उसकी प्राप्ति से पूर्व माल को 100 रुपए में बेच देता है। क इस विक्रय से आवद्ध है और ख पांच रुपए कमीशन का हकदार है।

(ख) क जो मद्रास में है, पत्र द्वारा अपनी ओर से ख को मुम्बई में एक भाण्डागार में रखी हुई कुछ रुई बेचने का निदेश देता है और तत्पश्चात् पत्र द्वारा उसके विक्रय प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है और ख को उस रुई को मद्रास भेजने का निदेश देता है। ख, दूसरा पत्र पाने के पश्चात् ग के साथ, जिसे पहले पत्र का तो ज्ञान है किन्तु दूसरे नहीं, उस रुई को उसे बेचने की संविदा करता है। ख को ग उसकी कीमत संदत्त कर देता है और ख उसे लेकर फरार हो जाता है। क के विरुद्ध ग का संदाय प्रभावी है।

(ग) क अपने अभिकर्ता ख को अनुक धनराशि ग को देने का निदेश देता है। क मर जाता है और घ उसकी बिल का प्रोबेट लेता है। क की मृत्यु के पश्चात् किन्तु मृत्यु की खबर सुनने से पूर्व ग को ख रुपए संदत्त कर देता है। निष्पादक घ के विरुद्ध यह संदाय प्रभावी है।

209. मालिक की मृत्यु या उन्मत्तता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य—जबकि मालिक की मृत्यु हो जाने या उसके विकृतचित्त हो जाने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाए तब अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने अभूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिए आवद्ध है।

210. उपाभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान—अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान उन सब उपाभिकर्ताओं के, जो उसने नियुक्त किए हों, प्राधिकार का (उन नियमों के अध्यधीन, जो अभिकर्ता के प्राधिकार के पर्यवसान के बारे में एतस्मिन् अन्तर्विष्ट है) पर्यवसान कारित कर देता है।

मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य

211. मालिक के कारबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य—अभिकर्ता अपने मालिक के कारबार का संचालन मालिक द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार, या ऐसे निदेशों के अभाव में, उस रूढ़ि के अनुसार, करने के लिए आवद्ध है जो उस स्थान पर, जहां अभिकर्ता ऐसे कारबार का संचालन करता है, उसी किस्म का कारबार करने में प्रचलित हो। जबकि अभिकर्ता अन्यथा कार्य करे तब यदि कोई हानि हो तो उसे उसके लिए अपने मालिक की प्रतिपूर्ति करनी होगी और यदि कोई लाभ हो तो उसे उसका लेखा लेना होगा।

दृष्टांत

(क) क, एक अभिकर्ता, जो ख की ओर से ऐसा कारबार करने में लगा है, जिसमें यह रूढ़ि है कि समय-समय पर जो रुपए हाथ में आए उसे ब्याज पर विनिहित कर दिया जाए, उसका वैसा विनिधान करने का लोप करता है। ख के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होती है, क को करनी होगी।

(ख) एक दलाल, ख जिसके कारबार में उधार बेचने की रूढ़ि नहीं है, क का माल ग को जिसका प्रत्यय उस समय बहुत ऊंचा है, उधार बेचता है। ग, संदाय करने से पूर्व दिवालिया हो जाता है। क की इस हानि की प्रतिपूर्ति ख को करनी होगी।

212. अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल और तत्परता—अभिकर्ता अभिकरण के कारबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आवद्ध है जितना वैसे कारबार में लगे हुए व्यक्तियों में साधारणतः होता है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना न हो। अभिकर्ता सदा ही युक्तियुक्त तत्परता से कार्य करने के लिए और उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और अपनी स्वयं की उपेक्षा, कौशल के अभाव या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत अपने मालिक को प्रतिकर देने के लिए आवद्ध है, किन्तु ऐसी हानि या नुकसान की बाबत नहीं जो ऐसी उपेक्षा, कौशल के अभाव या अवचार से अप्रत्यक्षतः या दूरस्थतः कारित हो।

दृष्टांत

(क) कलकत्ते के एक वणिग क का एक अभिकर्ता ख लन्दन में है जिसे ख के लेखे में कुछ धन इस आदेश के साथ दिया जाता है कि वह उसे भेज दे। ख उस धन को बहुत समय तक रखे रखता है। उस धन के न मिलने के फलस्वरूप क दिवालिया हो जाता है। ख उस धन के लिए और जिस तारीख को वह दे दिया जाना चाहिए था उस तारीख से प्रायिक दर पर, ब्याज के लिए और किसी प्रत्यक्ष हानि के लिए, उदाहरणार्थ विनिमय दर में फेरफार के लिए दायी है, किन्तु इससे अतिरिक्त के लिए नहीं।

(ख) माल के विक्रय के लिए एक अभिकर्ता क, जिसे उधार बेचने का प्राधिकार है, ख की शोधनक्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच किए बिना ख को उधार माल बेचता है। इस विक्रय के समय ख दिवालिया है। उससे हुई हानि के लिए क अपने मालिक को प्रतिकर देगा।

(ग) पोत का बीमा करने के लिए ख द्वारा नियोजित एक बीमा-दलाल क इस बात का ध्यान रखने का लोप करता है कि बीमे की पालिसी में वे उपबन्ध रखे जाएं, जो प्रायः रखे जाते हैं। तत्पश्चात् पोत नष्ट हो जाता है। उन उपबन्धों के न होने के परिणामस्वरूप निम्नांककों से कुछ वसूल नहीं किया जा सकता। ख की उस हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आवद्ध है।

(घ) इंगलैंड का एक वणिक क, मुम्बई के अपने अभिकर्ता ख को जिसने, अभिकरण प्रतिगृहीत किया है, रुई की 100 गांठें अमुक पोत में अपने को भेजने का निदेश देता है। ख की शक्ति में यह बात थी कि वह रुई भेज दे किन्तु वह ऐसा करने का लोप करता है। वह पोत सकुशल इंगलैंड पहुंच जाता है। उसके पहुंचने के तुरन्त पश्चात् रुई की कीमत चढ़ जाती है। ख उस लाभ की प्रतिपूर्ति क के प्रति करने को आवद्ध है जो क रुई की उन 100 गांठों में से उस समय कमाता जिस समय पोत पहुंचा किन्तु उस लाभ की पूर्ति के लिए नहीं जो उस पश्चात्पूर्ति बढ़ोत्तरी के कारण होता।

213. अभिकर्ता के लेखा—अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आवद्ध है।

214. मालिक से सम्पर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य—अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से सम्पर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते।

215. मालिक का अधिकार जब कि अभिकर्ता अभिकरण के कारबार में मालिक की सम्मति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है—यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक की सम्मति पहले से अभिप्राप्त किए बिना और उसको उन सब तात्त्विक परिस्थितियों से, जो उस विषय पर उसके अपने ज्ञान में आई हों, परिचित कराए बिना, अभिकरण के कारबार में अपने ही लेखे व्यवहार करे तो, यदि मामले से यह दर्शित हो कि या तो कोई तात्त्विक तथ्य अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है या अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए अहितकर रहे हैं, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकेगा।

दृष्टांत

(क) क अपनी सम्पदा बेचने का निदेश ख को देता है। ख उस सम्पदा को ग के नाम में अपने लिए खरीद लेता है यह पता लगने पर कि ख ने सम्पदा अपने लिए खरीदी है क उस विक्रय का निराकरण कर सकेगा यदि वह यह दर्शित कर सके कि ख ने बेईमानी से कोई तात्त्विक तथ्य छिपाया है या वह विक्रय उसके लिए अहितकर रहा है।

(ख) क अपनी सम्पदा बेचने का निदेश ख को देता है। ख बेचने से पूर्व उस सम्पदा को देखने पर यह जान जाता है कि सम्पदा में एक खान है जो क को ज्ञात नहीं है। क को ख सूचित करता है कि वह सम्पदा अपने लिए खरीदना चाहता है किन्तु खान की बात छिपा लेता है। क खान के अस्तित्व को न जानते हुए ख को खरीदने देता है। क यह जानने पर कि ख सम्पदा को खरीदने के समय खान के बारे में जानता था, उस विक्रय को अपने विकल्प पर निराकृत या अंगीकृत कर सकेगा।

216. अभिकरण के कारबार में अभिकर्ता को अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार—यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक के ज्ञान के बिना अभिकरण के कारबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को उस संव्यवहार से हुआ है।

दृष्टांत

क अपने लिए अमुक गृह खरीदने का निदेश अपने अभिकर्ता ख को देता है। क से ख कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। यह जांचने पर कि ख ने गृह खरीद लिया है क उसे वह घर अपने को उस कीमत पर, जो ख ने दी हो, बेचने के लिए विवश कर सकेगा।

217. अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार—अभिकर्ता अभिकरण के कारबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों का, जो उसे कारबार के संचालन में उसके द्वारा दिए गए अग्रिमों या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए उसको शोध्य हों, और ऐसे पारिश्रमिक का भी, जो ऐसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे देय हों, प्रतिधारण कर सकेगा।

218. मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य—ऐसी कटौतियों के अध्यधीन अभिकर्ता मालिक की उन सब राशियों को संदाय करने के लिए आवद्ध है जो मालिक के लेखे उसे प्राप्त हुई हों।

219. अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है—किसी विशेष संविदा के अभाव में, किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक शोध्य नहीं होता जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए, किन्तु अभिकर्ता बेचे गए माल के लेखे उसे प्राप्त धनराशियों को प्रतिधृत कर सकेगा यद्यपि विक्रय के लिए उसे परेषित माल सारे का सारा बेचा न जा सका हो, या विक्रय वस्तुतः पूर्ण न हुआ हो।

220. अवचारित कारबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है—वह अभिकर्ता, जो अभिकरण के कारबार में अवचार का दोषी है, कारबार के उस भाग के बारे में, जिसे उसने अवचारित किया है, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

दृष्टांत

(क) ग से 1,00,000 रुपए वसूल करने और उन्हें अच्छी प्रतिभूति पर लगाने के लिए ख को क नियोजित करता है। ख उन 1,00,000 रुपयों को वसूल करता है और 90,000 रुपए अच्छी प्रतिभूति पर लगाता है किन्तु 10,000 रुपए ऐसी प्रतिभूति पर लगाता है जिसका बुरा होना उसे ज्ञात होना चाहिए था। इसके फलस्वरूप क को 2,000 रुपयों की हानि होती है। ख 1,00,000 रुपए वसूल करने के लिए और 90,000 रुपए विनिहित करने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार है। वह 10,000 रुपए विनिहित करने के लिए किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है; और उसे क को 2,000 रुपए की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

(ख) ग से 1,000 रुपए वसूल करने के लिए ख को क नियोजित करता है। ख के अवचार से वह धन वसूल नहीं होता। ख अपनी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

221. मालिक की सम्पत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार—तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में अभिकर्ता को यह हक है कि उसे प्राप्त मालिक का माल, कागज-पत्र और अन्य सम्पत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, तब तक प्रतिधारित किए रहे जब तक उसे तत्संबंधी कमीशन, संवितरणों और सेवाओं की बाबत शोध्य रकम दे न दी जाए या उसका लेखा समझा न दिया जाए।

अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य

222. विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी—अभिकर्ता का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हों।

दृष्टांत

(क) कलकत्ते के क के अनुदेशों के अधीन ग को कुछ माल परिदान करने के लिए ग से ख सिगांपुर में संविदा करता है। ख को क माल नहीं भेजता और ग संविदा भंग के लिए ख पर वाद लाता है। क को ख वाद की इत्तिला देता है और क उसे वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है। ख वाद में प्रतिरक्षा करता है और नुकसानी तथा खर्च देने के लिए विवश किया जाता है और वह व्यय उपगत करता है। क ऐसी नुकसानी, खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है।

(ख) कलकत्ते का एक दलाल ख वहां के एक वणिज क के आदेशों के अनुसार ग से क के लिए दस पीपे तेल खरीदने की संविदा करता है। तत्पश्चात् क वह तेल लेने से इन्कार कर देता है और ख पर ग वाद लाता है। क को ख इत्तिला देता है। क संविदा का पूर्णतः निराकरण कर देता है। ख प्रतिरक्षा करता है किन्तु असफल रहता है और उसे नुकसानी और खर्च देने पड़ते हैं और व्यय उठाने पड़ते हैं। क ऐसी नुकसानी, खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है।

223. सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी—जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है वहां वह नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है यद्यपि वह कार्य पर-व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति करता हो।

दृष्टांत

(क) क, एक डिक्रीदार, जो ख के माल के विरुद्ध उस डिक्री का निष्पादन कराने का हकदार है, कुछ माल को ख का माल व्यपदिष्ट करके न्यायालय के आफिसर से अपेक्षा करता है कि वह उस माल को अभिगृहीत कर ले। आफिसर उस माल का अभिग्रहण करता है और उस पर माल के वास्तविक स्वामी ग द्वारा वाद लाया जाता है। क उस राशि के लिए उस आफिसर की क्षतिपूर्ति करने का दायी है जिसे वह क के निदेशों के पालन के परिणामस्वरूप ग को देने के लिए विवश किया जाता है।

(ख) क की प्रार्थना पर ख उस माल को बेचता है जो क के कब्जे में तो है किन्तु जिसके व्ययन का क को कोई अधिकार नहीं था। ख यह बात नहीं जानता और विक्रय के आगम क को दे देता है। तत्पश्चात् ख पर उस माल का वास्तविक स्वामी ग वाद लाता है और माल का मूल्य और खर्चा वसूल कर लेता है। ग को जो कुछ देने के लिए ख विवश किया गया है उसकी और ख के अपने व्ययों की क्षतिपूर्ति करने के लिए ख के प्रति क दायी है।

224. आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व—जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए नियोजित करता है, जो आपराधिक हो, वहां नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति न तो अभिव्यक्त और न विवक्षित वचन के आधार पर करने का दायी है।¹

दृष्टांत

(क) ग को पीटने के लिए ख को क नियोजित करता है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख तदुपरि ग को पीटता है और वैसा करने के लिए उसे ग को नुकसानी देनी पड़ती है। क उस नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं है।

¹ धारा 24 भी देखिए।

(ख) ख, एक समाचारपत्र का स्वत्वधारी, क की प्रार्थना पर उस पत्र में ग के विरुद्ध एक अपमानलेख प्रकाशित करता है और क उस प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में जो भी अनुयोजन हो उसके सब खर्चों और नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने करार करता है। ख पर ग द्वारा वाद लाया जाता है और उसे नुकसानी देनी पड़ती है और व्यय भी उठाना पड़ता है। उक्त क्षतिपूर्ति वचन के आधार पर ख के प्रति क दायी नहीं है।

225. मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर—मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव से उसके अभिकर्ता को कारित क्षति¹ के लिए मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा।

दृष्टांत

क एक गृह बनाने के लिए ख को राज के तौर पर नियोजित करता है और पाइ स्वयं ही लगाता है। पाइ कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामतः ख उपहत होता है। ख को क प्रतिकर देगा।

पर-व्यक्तियों से की गई संविदाओं पर अधिकरण का प्रभाव

226. अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उनके परिणाम—अभिकर्ता के माध्यम से की गई संविदाएं और अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से उद्भूत बाध्यताएं उसी प्रकार प्रवर्तित कराई जा सकेंगी और उनके वे ही विधिक परिणाम होंगे मानो वे संविदाएं और कार्य स्वयं मालिक द्वारा किए गए हों।

दृष्टांत

(क) ख से माल क यह जानते हुए कि ख उनके विक्रय के लिए अभिकर्ता है, किन्तु यह न जानते हुए कि मालिक कौन है, खरीदता है। ख का मालिक क से उस माल की कीमत का दावा करने का हकदार है और मालिक द्वारा लाए गए वाद में मालिक के दावे के विरुद्ध के वह ऋण, जो उसे ख को शोध्य हो, मुजरा नहीं करा सकता।

(ख) ख का अभिकर्ता क जिसे उसकी ओर से धन प्राप्त करने का प्राधिकार है, ग से ख को शोध्य कुछ धनराशि प्राप्त करता है। उक्त धन ख देने को बाध्यता से ग उन्मोचित हो जाता है।

227. मालिक कहां तक आवद्ध है जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ जाता है—जबकि कोई अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है और जबकि जो कुछ वह करता है उसका वह भाग, जो उसके प्राधिकार के भीतर है, उस भाग से, जो उसके प्राधिकार के परे है, पृथक् किया जा सकता है तो जो कुछ वह करता है उसका केवल उतना ही भाग, जितना उसके प्राधिकार के भीतर है, उसके और उसके मालिक के बीच आवद्धकर है।

दृष्टांत

क, जो एक पोत और स्थोरा का स्वामी है, ख को उस पोत का 4,000 रुपए का बीमा उपाप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। ख पोत का 4,000 रुपए का एक बीमा और स्थोरा का समान राशि का दूसरा बीमा उपाप्त करता है। क पोत के बीमे के लिए प्रीमियम देने को आवद्ध है किन्तु स्थोरा के बीमे के लिए प्रीमियम देने को नहीं।

228. मालिक आवद्ध न होगा जहां कि अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक् नहीं किया जा सकता—जहां कि अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है और अपने प्राधिकार के विस्तार के परे जो कुछ वह करता है वह उससे पृथक् नहीं किया जा सकता जो उसके प्राधिकार के भीतर है वहां मालिक उस संव्यवहार को मान्यता देने के लिए आवद्ध नहीं है।

दृष्टांत

क, अपने लिए 500 भेड़ें खरीदने के लिए ख को प्राधिकृत करता है। ख 6,000 रुपए की एक राशि में 500 भेड़ें और 200 मेमने खरीदा लेता है। क संपूर्ण संव्यवहार का निराकरण कर सकेगा।

229. अभिकर्ता को दी गई सूचना के परिणाम—अभिकर्ता को दी गई किसी सूचना या उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी जानकारी का, जहां तक कि मालिक और पर-व्यक्तियों का संबंध है, वही विधिक परिणाम होगा मानो वह मालिक को दी गई या उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई हो, परन्तु यह तब जब कि वह अभिकर्ता द्वारा मालिक के लिए संव्यवहृत कारबार के अनुक्रम में दी या अभिप्राप्त की गई हो।

दृष्टांत

(क) ग से वह माल जिसका ग दृश्यमान स्वामी है खरीदने के लिए ख द्वारा क नियोजित किया जाता है और वह तदनुसार उसे खरीदता है। विक्रय की बातचीत के अनुक्रम में क को पता चलता है कि वह माल वास्तव में घ का है किन्तु ख को यह तथ्य ज्ञात नहीं है। ग से अपने को शोध्य एक ऋण उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा करने का ख हकदार नहीं है।

¹ घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855(1855 13) देखिए।

(ख) ग से वह माल जिसका ग दृश्यमान स्वामी है खरीदने के लिए ख द्वारा क नियोजित किया जाता है। क इस प्रकार नियोजित होने से पूर्व ग का सेवक था और तब उसे मालूम हुआ था कि वह माल वास्तव में घ का है किन्तु ख को यह तथ्य ज्ञात नहीं है। अपने अभिकर्ता को यह ज्ञान होते हुए भी ग से अपने को शोध्य ऋण ख उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा कर सकेगा।

230. मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और न उनसे आवद्ध ही होता है—किसी तत्प्रभावी संविदा के अभाव में कोई भी अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदाओं का प्रवर्तन वैयक्तिक रूप से नहीं करा सकता और न वैयक्तिक रूप से उनसे आवद्ध होता है।

तत्प्रतिकूल संविदा की उपधारणा—ऐसी संविदा के अस्तित्व की उपधारणा निम्नलिखित दशाओं में की जाएगी—

(1) जहां कि संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेश निवासी वणिग की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए की गई हो।

(2) जहां कि अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता।

(3) जहां कि मालिक पर, यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया गया हो, वाद नहीं लाया जा सकता।

231. अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा के पक्षकारों के अधिकार—यदि कोई अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति से संविदा करे, जो न तो यह जनता हो और न यह सन्देह करने का कारण रखता हो कि वह अभिकर्ता है, तो अभिकर्ता का मालिक यह अपेक्षा कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए, किन्तु संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस मालिक के विरुद्ध वे ही अधिकार रखता है जो वह उस अभिकर्ता के विरुद्ध रखता यदि वह अभिकर्ता मालिक होता।

यदि मालिक संविदा पूर्ण होने के पूर्व अपने आपको प्रकट कर दे तो संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस संविदा का पालन करने से इन्कार कर सकेगा यदि वह यह दर्शित कर सके कि यदि उसे यह ज्ञात होता कि संविदा में मालिक कौन है या यदि उसे यह ज्ञात होता कि वह अभिकर्ता मालिक नहीं है तो उसने वह संविदा न की होती।

232. अभिकर्ता को मालिक समझ कर उसके साथ की गई संविदा का पालन—जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यह न जानते हुए और यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह दूसरा व्यक्ति एक अभिकर्ता है, संविदा करता है वहां यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा पालन, अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्यधीन ही अभिप्राप्त कर सकता है।

दृष्टांत

क, जो ख को 500 रुपए का देनदार है, क को 1,000 रुपए का चावल बेचता है। क इस संव्यवहार में ग के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, किन्तु ख न तो जानता ही है और न यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार ही रखता है कि बात ऐसी है। ख को क का ऋण मुजरा देने की अनुज्ञा दिए बिना ख को चावल लेने के लिए ग विवश नहीं कर सकता।

233. वैयक्तिक रूप से दायी अभिकर्ता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार—उन मामलों में, जिनमें कि अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से दायी हो, उसके व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उसको या उससे मालिक को या उन दोनों को दायी ठहरा सकेगा।

दृष्टांत

रुई की 100 गांठ ख को बेचने की संविदा उससे क करता है और तत्पश्चात् उसे पता चलता है कि ग की ओर से ख अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। क उसे रुई की कीमत के लिए या तो ख पर या ग पर या दोनों पर वाद ला सकेगा।

234. अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम न कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा—जबकि कोई व्यक्ति, जिसने किसी अभिकर्ता से संविदा की हो उस अभिकर्ता को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल अभिकर्ता ही दायी ठहराया जाएगा तब वह, यथास्थिति, अभिकर्ता या मालिक को तत्पश्चात् दायी नहीं ठहरा सकता।

235. अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व—जो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे का प्राधिकृत अभिकर्ता होना असत्यतः व्यपदिष्ट करता है और तद्द्वारा किसी पर-व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे अभिकर्ता मान कर उसके साथ व्यवहार करे, यदि उसका अभिकथित नियोजक उसके कार्यों का अनुसमर्थन न करे तो, वह उस पर-व्यक्ति की उस हानि या नुकसान के बारे में जो उस पर-व्यक्ति ने ऐसे व्यवहार करने द्वारा उठाया है, प्रतिकर देने का दायी होगा।

236. मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है—वह व्यक्ति, जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है, उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं, बरन् स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था।

237. यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अप्राधिकृत कार्य प्राधिकृत थे—जब कि अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किए हों या पर-व्यक्तियों के प्रति बाध्यताएं उपगत की हों तब मालिक ऐसे कार्यों

या बाध्यताओं से आबद्ध होगा, यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे पर-व्यक्तियों को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यताएं उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर थीं।

दृष्टांत

(क) क विक्रय के लिए माल ख को प्रेषित रखता है और उसे अनुदेश देता है कि वह उसे नियत कीमत से कम पर न बेचे। ख को दिए गए अनुदेशों को न जानते हुए ग आरक्षित कीमत से कम कीमत पर उस माल को खरीदने की ख से संविदा करता है। क उस संविदा से आबद्ध है।

(ख) क ऐसी परक्राम्य लिखत, जिन पर निरंक पृष्ठांकन है, ख के पास न्यस्त करता है। क के प्राइवेट आदेशों का अतिक्रमण कर ख उन्हें ग को बेच देता है। विक्रय ठीक है।

238. अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव—अपने कारबार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा किए गए करारों पर वे ही प्रभाव रखते हैं मानो ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किए गए हों, किन्तु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में, जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते, किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट का उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ता।

दृष्टांत

(क) क, जो माल के विक्रय के लिए ख का अभिकर्ता है, एक दुर्व्यपदेशन द्वारा जिसे करने के लिए वह ख द्वारा प्राधिकृत नहीं था, ग को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहां तक कि ख और ग के बीच का संबंध है, संविदा ग के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

(ख) ख के पोत का कप्तान क, वहनपत्रों पर, उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहां तक ख और अपदेशी परेषक का संबंध है, वहनपत्र शून्य है।

अध्याय 11—[भागीदारी के विषय में] —भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 73 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित।

अनुसूची—[अधिनियमितियां निरसित] —निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित।